नगर निगम, वाराणसी

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

(आडिट रिपोर्ट)

वर्ष 2019–20

नगर निगम लेखा नियमावली के नियम
77(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत

विवेक सिंह
मुख्य नगर लेखा परीक्षक

प्रेषक,

मुख्य नगर लेखा परीक्षक

नगर निगम, वाराणसी

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास अनुभाग–7,
बापू भवन, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ ।

संख्या – 62 डी/16/मु.न.ले.प./2020–21 दिनांक– 10 नवम्बर,2020

विषय– नगर निगम, वाराणसी का वित्तीय वर्ष 2019–20 का वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार नगर निगम, वाराणसी का वर्ष 2019–20 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक,स्थानीय निकाय निदेशालय,सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार उ0प्र0, लखनऊ।
2. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम, वाराणसी ।
3. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, वाराणसी ।
4. लेखाधिकारी, नगर निगम, वाराणसी ।
5. प्रभारी अधिकारी (परिषद्), नगर निगम, वाराणसी ।
6. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) को नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक

11-Nov-2020

नगर निगम, वाराणसी
वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20
(1 अप्रैल,2019 से 31 मार्च,2020, तक)

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों यथा–(1) अनिस्तारित आपत्तियों की अद्यावधिक सूची, प्राविधिक त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) मासिक रिर्पोटो में प्राधिकारियों को संज्ञान में लायी गयी सामान्य तथा महत्वपूर्ण मामलो से समाविष्ट लेखा परीक्षा टिप्पणी में प्राधिकारियों द्वारा उसपर की गयी कार्यवाही तथा नगर निगम की वित्तीय स्थित को दर्शाने वाला विवरण (3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रुप में रिपोर्ट जिसे सरकार या नगर निगम लेखा परीक्षा के अंश के रुप में आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, के रुप में प्रस्तुत किया जा रहा है :–

भाग प्रथम

(इस भाग में लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार अनिस्तारित विशेष एवं साधारण आपत्तियाँ, प्राविधिक अनियमिततायें एवं त्रुटियाँ तथा सामान्य प्रशासन का उल्लेख है।)

1–प्रशासन

प्रतिवेदित वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक श्रीमती मृदुला जायसवाल महापौर रहीं। इस मध्य दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 23.10.2019 तक श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी तथा दिनांक 24.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक श्री गौरांग राठी नगर आयुक्त पद पर रहें।

2–सम्परीक्षण

1. प्रतिवेदित वर्ष 2019–20 में श्री विवेक सिंह, दिनांक 01.04.2018 से सम्पूर्ण वर्ष मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहे।
2. लेखा परीक्षक विभाग में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के चार तथा लेखा परीक्षक के नौ पंद शासन द्वारा स्वीकृत है इन पदों के सापेक्ष निम्नलिखित परीक्षकगण कार्यरत रहें।

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक

1. श्री निर्विकार गोयल (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) दि0–01.04.2019 से दिनांक 19.06.2019 तक
2. श्री रोहिताश्व शुक्ल (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) दि0–01.04.2019 से सम्पूर्ण वर्ष तक।
3. श्री शशिकान्त प्रसाद सियाराम (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) दि0–01.04.2019 से सम्पूर्ण वर्ष तक।
4. श्री सागर सिन्हा (लेखा परीक्षक) दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 03.07.2019 तक।
5. श्री मनीष कुमार मिश्रा (लेखा परीक्षक) 01.04.2019 से सम्पूर्ण वर्ष तक।
6. श्री अभय कुमार सिंह (लेखा परीक्षक) 01.04.2019 से सम्पूर्ण वर्ष तक।
7. श्री अमित उपाध्याय (लेखा परीक्षक) 01.04.2019 से दिनांक 08.07.2019 तक।
8. श्री भूपेन्द्र सिंह (लेखा परीक्षक) 01.04.2019 से दिनांक 08.07.2019 तक।
9. श्री मुकेश कुमार भटेले (लेखा परीक्षक) 01.04.2019 से दिनांक 08.07.2019 तक।

3–अनिस्तारित आडिट आपत्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2019–20 तक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठाई गयी आडिट आपत्तियाँ तथा उनके निराकरण की विभागीय स्थिति निम्नवत् है :–

क.सं.	विभाग का नाम	आपत्तियों का प्रारंभिक अवशेष		आलोच्य अवधि में उठाई गई आपत्तियाँ		योग		आलोच्य अवधि में निस्तारित आपत्तियाँ		अनिर्णीत आपत्तियों का अंतिम आवशेष	
		वि0	सा0	वि0	सा0	वि0	सा0	वि0	सा0	वि0	सा0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	स्वास्थ्य विभाग	143	4516	3	2	146	4518	-	-	146	4518
2.	जनसंपर्क कार्यालय	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
3.	सामान्य अभियन्त्रण विभाग	137	3440	1	5	138	3445	-	-	138	3445
4.	न0अ0 (विश्व बैंक)	10	223	-	-	10	223	-	-	10	223
5.	लेखा विभाग	43	798	3	-	43	801	-	-	43	801
6.	कर विभाग	195	1574	5	-	200	1574	-	-	200	1574
7.	राजस्व	96	1037	-	-	96	1037	-	-	96	1037
8.	नजूल विभाग	1	57	-	-	1	57	-	-	1	57
9.	अनुज्ञप्ति विभाग	29	303	-	-	29	303	-	-	29	303
10.	विधि विभाग	15	310	-	-	15	310	-	-	15	310
11.	केन्द्रीय कार्यालय	12	427	-	-	12	427	-	-	12	427
12.	आलोक विभाग	60	806	-	-	60	806	-	-	60	806
13.	नाजिरात	-	603	-	-	-	603	-	-	-	603
14.	विज्ञापन विभाग	11	68	-	-	11	68	-	-	11	68
15.	उद्यान विभाग	8	289	-	-	8	289	-	-	8	289
16.	फार्म कीपर	5	182	-	-	5	182	-	-	5	182
17.	जे0पी0 मेहता	5	61	-	-	5	61	-	-	5	61
18.	उ0मा0वि0 (मछोदरी)	5	56	-	-	5	56	-	-	5	56
19.	रामघाट	-	20	-	-	-	20	-	-	-	20
20.	नकल विभाग	-	10	-	-	-	11	-	-	-	10
21.	परिवार कल्याण	6	28	-	-	6	28	-	-	6	28
22.	चुंगी	55	2925	-	-	55	2925	-	-	55	2925
23.	सतर्कता विभाग	2	11	-	-	2	11	-	-	2	11
24.	विकास	5	768	-	-	5	768	-	-	5	768
25.	महाप्रबन्धक (जलकल)	6	455	-	-	6	455	-	-	6	455
26.	बालक शिक्षा	-	45	-	-	-	45	-	-	-	45
27.	बालिका शिक्षा	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16
28.	योजना विभाग	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
29.	चर्मोद्योग केन्द्र	-	16	-	-	-	16	-	-	-	16
30.	मत्स्य उद्योग	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
31.	कंम्प्यूटर	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-
32.	अन्य	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-
33.	परिवहन विभाग	5	21	-	-	5	21	-	-	5	21
34.	रिकार्ड विभाग	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	कुल योग:-	**862**	**19068**	**12**	**7**	**874**	**19075**	-	-	**874**	**19075**

पिछले वार्षिक प्रतिवेदनों में नगर निगम तथा राज्य शासन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि नगर निगम के विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा आडिट आपत्तियों के निस्तारण में रूचि न लिए जाने एवं आडिट के प्रति उपेक्षा बरते जाने के कारण आपत्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। जबकि लेखा नियमावली के नियम–79 में प्राविधानित किया गया है कि आपत्ति विवरण–पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के

भीतर विभागाध्यक्ष उत्तर एवं अपने हस्ताक्षर सहित निस्तारण हेतु आपत्ति–पत्र वापस करेगा। किन्तु नगर निगम में इस नियम की पूर्णतया अवहेलना तथा आडिट के कार्यो की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्त तक कुल मिलाकर 19949 आडिट आपत्तियाँ लंबित है जिनमें 874 विशेष आपत्ति तथा 19075 साधारण आपत्तियाँ अवशेष थी जिनका निस्तारण अभी तक नहीं कराया गया है।

4–सामान्य त्रुटियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आय–व्यय के लेखा परीक्षण के समय निम्नलिखित त्रुटियाँ अधिकांशतः समस्त विभागों में पायी गईः–

(क) प्रायः पेंशन पत्रावलियों में संलग्न अदेय प्रमाण पत्रों पर पदाधिकारियों के पदनाम एवं मुहर आदि अंकित नहीं किये जाते है।

(ख) लेखा नियमावली के नियमों की अवहेलनाः– लेखा नियमावली के नियम–5 के अनुसार प्रत्येक अशुद्ध एवं अपरलेखन को उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये परन्तु ऐसा प्रायः नहीं पाया जाता। अधिकृत सत्यापन के अभाव में किया गया अपर लेखन एवं अशुद्ध लेखन पूर्णतयाः वर्जित है जो भ्रामक स्थिति की ओर ले जाता है। प्रायः कर्मचारियों की सेवापुस्तिकाओं में भी अपर लेखन किया जाता है।

(ग) अधिकांशतः विभागों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जाता है। सेवापुस्तिकाओं में कर्मचारियों से संबंधित प्रविष्टियों का पूर्ण उल्लेख नहीं पाया गया। किन्हीं–किन्हीं मामलों में कई वर्षो के सेवानिवृत्ति की प्रविष्टियाँ अंकित नही पायी गयी। प्रायः सेवापुस्तिकाओं में छठवें एवं सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रविष्टियाँ त्रुटिपूर्ण पायी गयी। सेवापुस्तिकाओं में समस्त प्रविष्टियाँ प्रायः सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं पायी गयी।

भाग द्वितीय
(वित्तीय वर्ष 2019–20 का लेखा परीक्षण)

1–वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त एवं निस्तारित पेंशन/उपादान सम्बन्धित विषयों की समीक्षाः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 305 पेंशन/उपादान के मामलें लेखा विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा लेखा परीक्षण हेतु भेजे गये। समस्त 305 पेंशन/उपादान पत्रावलियों में से 282 पत्रावलियों का अन्तिम रुप से निस्तारण किया गया तथा 23 पत्रावलियों के मामलों में लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत आपत्तियों से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया।

1. विभागों द्वारा भेजी गयी पत्रावलियाँ अपूर्ण पायी गयी। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि लेखा परीक्षण में पत्रावलियाँ भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भेजी जाने वाली पत्रावलियों में सभी आवश्यक पत्र–जात संलग्न है अथवा नहीं, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया फलस्वरुप अपूर्ण पत्रावलियाँ ही लेखा परीक्षण में भेजी जाती रही।
2. पेंशन पत्रावलियों में वेतन तालिकायें अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण पायी गयी यह स्पष्ट नही हो पाया कि उन्हे किस आधार पर तैयार किया गया। लेखा विभाग का यह दायित्व है कि उन तालिकाओं का मिलान मूल देयकों से करने के उपरान्त उसपर यह टिप्पणी अंकित की जाये कि वेतन तालिका का मिलान मूल वेतन देयकों से कर लिया गया है तथा शुद्ध पाया गया।
3. लेखा परीक्षण के दौरान दृष्टिगत अनियमितताओं से लेखा विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को अवगत

कराया गया। अधिकांश पत्रावलियों पर बार–बार आपत्तियाँ करने पर भी उनका निस्तारण नही किया गया। लेखा विभाग का दायित्व है कि वह उठायी गयी आपत्तियों के पूर्ण निस्तारण करवाने के पश्चात ही जाँचोपरान्त पत्रावलियों को लेखा परीक्षण हेतु भेजे, किन्तु लेखा विभाग द्वारा इसका पालन नही किया गया और पत्रावलियों को बिना जाँचे ही लेखा परीक्षण में भेज दिया गया।

4. पूर्व वर्णित कठिनाईयों के कारण पेंशन निस्तारण के कार्य में शीघ्रता होना सम्भव नही हो पाता। यह कटु सत्य है कि सम्बन्धित विभाग तथा लेखा विभाग द्वारा यदि पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाय तो पेंशन/उपादान के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता सम्भव है।

2–नगर निगम की वित्तीय स्थिति वर्ष 2019–20

वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक अवशेष (बजट तखमीना) रु.–2734714369.00
वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रारम्भिक अवशेष(वास्तविक) रु.–3754096102.00

आय

	प्राविधानित आय	वास्तविक आय
राजस्व लेखा	1222270000.00	778221682.00
पूँजी लेखा	3890167000.00	3074206099.00
उच्चन्त लेखा	22100000.00	7813525.00
महायोग	5134537000.00	3810241306.00

उपरोक्त आय (विभिन्न लेखों में) नगर निगम वाराणसी के वार्षिक बजट 2019–20 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की वास्तविक आय का उल्लेख किया गया है।

व्यय

	प्राविधानित व्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व लेखा	2755555000.00	2410808604.00
पूँजी लेखा	2318967000.00	1191018082.00
उच्चन्त लेखा	55700000.00	14043463.00
महायोगः–	**5130222000.00**	**3615870149.00**

उपरोक्त व्यय (विभिन्न मदों में) नगर निगम, वाराणसी के वार्षिक बजट 2019–20 में उल्लिखित है एवं दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक के किये गये वास्तविक व्यय का उल्लेख है।

रोकडबही का अन्तिम अवशेष 31.03.2020 को रु0–2734714369.00 (रु. दो अरब तिहत्तर करोड़ सैतालीस लाख चौदह हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र) है।

आय पक्ष

(क) राजस्व लेखाः–

वर्ष 2019–20 के वार्षिक बजट के अवलोकन से विदित हुआ कि वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित मदों में अपेक्षाकृत कम आय हुयी।

लेखा शीर्षक	लेखा मद	बजट प्रावधान 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त आय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त आय	वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019–20 में कमी
1	2	3	4	5	6(4–5)
1201001	अन्य कर	1300000.00	500820.00	151110.00	349710.00
1301002	प्रेक्षागृह किराया	100000.00	131536.00	0	131536.00
1302001	कार्यालय भवन आवास	1500000.00	564545.00	301537.00	243008.00
1308001	विज्ञापन स्थल का किराया	20500000.00	27629685.00	8186972.00	19442713.00
1401003	पंजीकरण शुल्क : ठेकेदार आदि	500000.00	346500.00	0	346500.00
1401004	नवीनीकरण शुल्क : ठेकेदार आदि	1200000.00	744000.00	0	744000.00
1401005	नियमितीकरण शुल्क : दुकान	100000.00	10000.00	0	10000.00
1401101	लाईसेन्स शुल्क : रिक्शा ताँगा, नाव व ई–रिक्शा आदि	2000000.00	1021450.00	830475.00	390975.00
1401102	लाईसेन्स शुल्क : हाथ ठेला, ट्राली एवं बैलगाड़ी इत्यादि	1500000.00	1056777.00	839425.00	217352.00
1401105	लाईसेन्स शुल्क : ज्वलनशील पदार्थ के दुकान	1000000.00	1068600.00	893069.00	979294.00
1401106	लाईसेन्स शुल्क : ध्वनि विस्तारक यंत्र	0	330.00	40.00	290.00
1401107	लाईसेन्स शुल्क : रिक्श चालक, परिचय पत्र एवं नामान्तरण	100000.00	37940.00	22921.00	15019.0
1401109	लाईसेन्स शुल्क : होटल लाज आदि	2000000.00	1869030.00	815400.00	1053630.00

1401110	लाईसेन्स शुल्क : स्कूल/कालेज बस	2000000.00	144000.00	99320.00	44680.00
1402001	दण्ड और जुर्माना (लाईसेन्स विभाग)	500000.00	419769.00	262480.00	157289.00
1402005	दण्ड और जुर्माना (ठेकेदार)	200000.00	31300.00	4550.00	26750.00
1404001	अन्य शुल्क : विज्ञापन	15500000.00	13055654.00	5408533.00	7647121.00
1404002	अन्य शुल्क : शिक्षण संस्थान शुल्क	50000.00	32346.00	24496.00	7850.00
1404003	अन्य शुल्क : नामान्तरण	20000000.00	18902300.00	15128100.00	3774200.00
1404004	अन्य शुल्क : सुचना का अधिकार	100000.00	6639.00	1490.00	5149.00
1405005	उपयोगकर्ता शुल्क : शवदाह	100000.00	780000.00	677500.00	102500.00
1405007	उपयोगकर्ता शुल्क : पार्किंग	20000000.00	18579117.00	9851058.00	8728059.00
1407001	सेवा/प्रशासनिक शुल्क : सड़क क्षति	80000000.00	83748817.00	59391830.00	24356987.00
1408001	अन्य शुल्क : नम्बर प्लेट, टोकेन	400000.00	217054.00	199590.00	17464.00
1501001	घास/पेड़ आदि	200000.00	86302.00	32050.00	54252.00
1501102	प्रारुपों/प्रकाशनों की बिक्री	1500000.00	4066111.00	797638.00	3268473.00
		महायोगः–	175050622.00	102935821.00	72114801.00

टिप्पणीः–

उपरोक्त तालिका के विभिन्न लेखा मदों के आवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में रु. 72114801.00 (रु. सात करोड़ इक्कीस लाख चौदह हजार आठ सौ एक) मात्र की कम आय प्राप्त हुई।

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आय प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि इनकी प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास नहीं किये। उक्त तालिका में वर्णित निम्न मदों में आय में अत्यधिक कमी दृष्टिगत हुई है :–

1. उक्त लेखा शीर्षक सं–1308001 विज्ञापन स्थल का किराया के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में रु. 19442713.00 की कम आय प्राप्त हुई। जबकि बजट प्राविधान रु. 20500000.00 का था।

2. उक्त लेखा शीर्षक सं–1401003 पंजीकरण शुल्क ठेकेदार आदिः के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में रु. 346500.00 की कम प्राप्त हुई, जबकि बजट प्राविधान रु. 500000.00 का था।

3. उक्त लेखा शीर्षक सं–1401004 नवीनीकरण शुल्क दुकान के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में रु. 744000.00 की कम आय प्राप्त हुई। जबकि बजट प्राविधान रु. 1200000.00 का था।

4. उक्त लेखा शीर्षक सं.–1401101 लाइसेन्स शुल्क रिक्शा, ताँगा इत्यादि वसूली के संदर्भ में उल्लेखनीय है

कि विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में रु. 390975.00 की कम आय प्राप्त हुई, जबकि बजट प्रावधान रु. 1000000.00 का था।

5. उक्त लेखा शीर्षक सं.–1401109 लाइसेन्स शुल्क होटल लाज आदि के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में रु. 1053630.00 की कम आय प्राप्त हुई, जबकि बजट प्रावधान रु. 2000000.00 का था।

6. उक्त लेखा शीर्षक सं–1404001 अन्य शुल्क विज्ञापन के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में रु. 7647121.00 की कम आय प्राप्त हुई। जबकि बजट प्राविधान रु. 15500000.00 का था।

7. उक्त लेखा शीर्षक सं–1404003 अन्य शुल्क नामान्तरण के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में रु. 3774200.00 की कम आय प्राप्त हुई। जबकि बजट प्राविधान रु. 20000000.00 का था।

8. उक्त लेखा शीर्षक सं–1405007 उपयोगकर्ता शुल्क पार्किगं के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में रु. 8728059.00 की कम आय प्राप्त हुई। जबकि बजट प्राविधान रु. 20000000.00 का था।

9. उक्त लेखा शीर्षक सं–1407001 सेवा/प्रशासनिक शुल्क सड़क क्षति के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में रु. 24356987.00 की कम आय प्राप्त हुई। जबकि बजट प्राविधान रु. 80000000.00 का था।

10. उक्त लेखा शीर्षक सं.– 1501102 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में रु. 3268473.00 की कम आय प्राप्त हुई है। जबकि बजट प्रावधान रु. 1500000.00 का था।

व्यय पक्ष

आलोच्य अवधि 2019–20 में विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अधीन अधिक व्यय हुआ है:–

लेखा शीर्षक	लेखा मद	वित्तीय वर्ष 2019–20 की तखमीना	वित्तीय वर्ष 2019–20 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में वित्तीय वर्ष2019–20 वृद्धि
1	2	3	4	5	6
2201101	कार्यालय अनुरक्षण बिजली बिल	6000000.00	3897559.00	3176369.00	721190.00
2201103	कार्यालय अनुरक्षण सुरक्षा व्यय	10000000.00	8030749.00	2136248.00	5894501.00
2201201	संचार व्यय : टेलीफोन	400000.00	209721.00	147575.00	62146.00
2202002	समाचार पत्र	50000.00	9024.00	0	9024.00
2202101	प्रेस छपाई (फार्म विभाग)	1500000.00	618837.00	483759.00	135078.00
2203001	यात्रा व्यय	2000000.00	1010344.00	583103.00	427241.00
2203002	यात्रा व्यय वाहनों का किराया	15000000.00	11323767.00	10091287.00	1232480.00
2205102	विधि अधिवक्ता शुल्क	3000000.00	2314391.00	559975.00	1754416.00
2205202	सलाहकार शुल्क	1000000.00	33800.00	0	33800.00

2206002	विज्ञापन प्रकाशन	5000000.00	3327690.00	1860670.00	1467020.00
2208002	आटउसोर्सिंग मजदूर	200000000.00	267719957.89	123324270.20	144395687.69
2208003	महापौर/पार्षद/अधिकारी भ्रमण भत्ता	3000000.00	1602520.00	989564.00	612956.00
2305002	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा निधि (सड़क अनुरक्षण	20000000.00	956043.00	690885.00	265158.00
2305103	कुण्डो/तालाबों का रखरखाव	2000000.00	138054.00	0	138054.00
2305106	पौधशालाओं का रखरखाव	500000.00	593.00	0	593.00
2305107	सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव	1000000.00	85115.00	81294.00	4421.00
2305112	गौशाला रखरखाव	4500000.00	3647300.00	711918.00	2935382.00
2305115	प्याऊ का रखरखाव	200000.00	18465.00	0	18466.00
2305116	जलावनी लकड़ी का रखरखाव	3000000.00	1233872.00	1026518.00	207354.00
2305301	वाहनों की वाह्य मरम्मत	5000000.00	5601705.00	4898607.00	703098.00
2305906	जनरेटर का रखरखाव	800000.00	270794.00	187566.00	83228.00
2305907	कम्प्यूटर का रखरखाव	1000000.00	300531.00	213987.00	86544.00
2305908	ए0सी0 का रखरखाव	500000.00	93020.00	91498.00	1522.00
2305909	फोटो स्टेट का रखरखाव	500000.00	7056.00	0	7056.00
2308002	अन्य अनुरक्षण व्यय	40000000.00	32542579.00	30558645.00	1983934.00
2308003	वर्षा जल निकासी व्यय	15000000.00	342206.00	0	342206.00
महायोग		340950000.00	345335692.89	181813137.00	163522555.69

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 14 लेखा मद ऐसे है जिसमें विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में भी व्यय हुआ है किन्तु इन मदों में आलोच्य अवधि 2019–20 का व्यय विगत वित्तीय वर्ष की अपेक्षा अधिक है। ये मद है – कार्यालय अनुरक्षण बिजली बिल (2201101), कार्यालय अनुरक्षण सुरक्षा व्यय (2201103), यात्रा व्यय (2203001), यात्रा व्यय वाहनों का किराया (2203002), विधि अधिवक्ता शुल्क (2205102), विज्ञापन प्रकाशन (2206002), आउटसोर्सिंग मजदूर (2208002), महापौर/पार्षद/अधिकारी भ्रमण भत्ता (2208003), 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा निधि सड़क अनुरक्षण (2305002), गौशाला रखरखाव (2305112), जलावनी लकड़ी का रखरखाव (2305116), वाहनों की वाह्य मरम्मत (2305301), अन्य अनुरक्षण व्यय (2308002) वर्षा जल निकासी व्यय (2308003) ।

इसके अतिरिक्त निम्नाकिंत मदों में आलोच्य अवधि 2019–20 में कोई व्यय नहीं हुआ है, जो इस प्रकार है :–

संचार व्ययः इण्टरनेट/लीज लाईन(2201203), पत्रिकायें(2202001), विधि व्यय(2205101), मुकदमा समझौता खर्च(2205103), भण्डार का उपभोग : उद्यान विभाग (2303004), भण्डार का उपभोग : कम्प्यूटर विभाग (2303007) मार्ग प्रकाश अनुरक्षण(स्टोर से)(2305003), 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा : स्टोर (2305004), मार्ग प्रकाश अनुरक्षण बाजार (2305005), 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(बाजार से)(2305006), यातायात संकेत अनुरक्षण(2305008), अन्य आकस्मिक व्यय : अभियंत्रण (2305010), अस्पतालों का रखरखाव(2305105), गंगा घाटों की मरम्मत (2305113), शिक्षण संस्थानों का रखरखाव(2305108), आधुनिक बधशालाओं का रखरखाव(2305109), गंगा घाटों की सफाई कार्य(2305114), प्याऊ का रखरखाव(2305115), अन्य भवनों का रखरखाव (2305202), अनय

अनुरक्षण/आपूर्ति (2305303) कार्यालय उपकरणों का क्रय(2305903), यांत्रिकी उपकरण का रखरखाव(2305905), अन्य संपत्ति का रखरखाव (2305904), सीवरेज अनुरक्षण (2308001) ।

इसके साथ ही व्यय तालिका में उल्लिखित मदों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 का कुल व्यय लगभग रु. 345335692.89 है, जो इनके लिये निर्धारित बजट तखमीने के योग का 101.03 प्रतिशत है, जिस पर मितव्ययिता संबंधी शासनादेश के आलोक में व्यय पर नियंत्रण रखा जाना अपेक्षित है।

कार्य विशेष निधियों से व्यय

विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 की तुलना में आलोच्य अवधि वर्ष 2019–20 में कार्य विशेष निधियों से व्यय की स्थिति निम्नवत् है :–

लेखा शीर्षक	लेखा मद	बजट तखमीना 2019–20	वार्षिक व्यय 2018–19	वर्षिक व्यय 2019–20	वर्ष 2018–19 के वार्षिक व्यय की तुलना में वर्ष 2019–20 के व्यय में वृद्धि/कमी
1	2	3	4	5	6 (5–4)
3201005	विशेष निधिया ह्दय योजना	50000000.00	69578871.00	31936524.00	(–)37642347.00
3201006	चौदहवाँ वित्त आयोग अनुदान	630000000.00	415314415.00	689484867.00	274170452.00
3201007	जायका	200000000.00	103569415.00	88022367.00	(–)15547048.00
3201010	स्वच्छ भारत मिशन	50000000.00	85889065.00	5863109.00	(–)80025956.00
3201012	अमृत योजना	20000000.00	6635273.00	6199012.00	(–)60156261.00
3201013	नमामि गंगे योजना	50000000.00	60042460.00	75402217.00	15359757.00
3201015	डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना	30000000.00	3600000.00	4203000.00	603000.00
3202001	नगर निगम अनुदान निधि	180000000.00	177735634.00	59622200.00	(–)120813434.00
3202002	नगर निगम पूर्वांचल/विधायक कोटा निधि	2000000.00	4393478.00	2240433.00	(–)2153045.00
3202004	राज्य वित्त आयोग विकास निधि	100000000.00	26416077.00	23512572.00	(–)2903505.00
3202010	नगरीय अवस्थापना विकास निधि	300000000.00	51130504.00	158071919.00	106941415.00
3202014	कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु योजना	13200000.00	18679090.00	5426354.00	(–)13252736.00
4103301	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था खम्भे व तार	4000000.00	1747932.00	1365194.00	(–)382738.00

4105001	वाहन बस,ट्रक कय आदि	3000000.00	2950660.00	49340.00	(–)2901320.00
4106002	कार्यालय उपकरणों का कय कम्प्यूटर आदि	500000.00	175732.00	7056.00	(–)168676.00
4106003	कार्यालय उपकरणों का कय फोटो कापी मशीन	100000.00	26407.00	19125.000	(–)7282.00
4106004	कार्यालय अनुरक्षण नेटवर्क उपकरण	2500000.00	622955.00	351212.00	(–)271743.00
योग :–		1635300000.00	1028507968.00	1151776501.00	123268533.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में विगत वित्तीय वर्ष 2018–199 की तुलना में कार्य विशेष निधियों के उपरोक्त लेखा मदों में रु 123268533.00 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विशेष निधि हृदय योजना(3201005), चौदहवाँ वित्त आयोगः अनुदान(3201006), जायका योजना(3201007), स्मार्ट सिटी(3201011) आदि के कारण है।

इसके अतिरिक्त आलोच्य अवधि 2017–18 में निम्नांकित मदों में कोई व्यय नहीं हुआ है जो इस प्रकार है :– गंगा घाट पुनरुद्धार निधि(3202009), पशु शव उत्सर्जन(3202012), पशु वधशाला(3202013), कार्यालय भवन(4102001), सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण(4102002), ठोस सड़को का निर्माण(4103001) 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(ठोस सड़को का निर्माण)(4103002), फूटपाथ का निर्माण(4103005), 25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा(4103302), संयंत्र और मशीनरीः फागिंग मशीन कय(4104001), संयंत्र और मशीनरीः सीवर पैकिंग मशीन कय(4104002), संयंत्र और मशीनरीःकम्प्रेशर पम्प, मोटर आदि कय(4104003), संयंत्र और मशीनरीः अस्पताल प्रयोगार्थ(4104004), वाहनः हाथ कूड़ा गाड़ी(4105003), कार्यालय उपकरणों का कय ए0सी0 (4106001), फर्नीचरः फिक्चर फिटिंग बिजली के उपकरण.(4107002), फर्नीचर फिटिंग फिक्चर आलमारी, कुर्सी आदि (4107001) फर्नीचरः फिक्चर, फिटिंग एवं अन्य.(4107003),

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्य विशेष निधियों के अन्तर्गत उपरोक्त मदों में लिये आवंटित कुल बजट तखमीना रु. 1635300000.00 के विरुद्ध मात्र 70.43 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया गया है।

नगर निगम की अच्छी छवि के लिये कार्य विशेष निधियों के निर्धारित निधियों के समुचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस ओर शासन तथा प्रशासन का ध्यान विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2019–20 में उठाई गयी विशेष/साधारण आपत्तियों तथा नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को समय–समय पर भेजा गया पत्र।

विशेष आपत्ति

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– नाजिर द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों के बावजूद अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में।

कृपया सादर अवगत कराना है कि ऐसे दावे जिनका भुगतान विगत छः माह या उससे अधिक समय से

लंबित है आपके स्पष्ट आदेश के बावजूद परीक्षण हेतु नाजिर द्वारा संबंधित पत्रावलियों को प्रस्तुत नही किया जा रहा है। छः माह से अधिक पुराने दावों से संबंधित 48 पत्रावलियों में विलम्ब के कारण का उल्लेख करते हुये लंबित पत्रावलियों को परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जबकि ऐसी पत्रावलियों को इस कार्यालय के पत्र संख्या–126डी/16/मु.न.ले.प./2018–19, दिनांक 29.03.,2019, पत्र संख्या–05(03)डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 20.04.2019, पत्र संख्या–06डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 01.05.2019, पत्र संख्या–07डी/16/मु. न.ले.प./2019–20, दिनांक 04.05.2019, पत्र संख्या–10डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 25.05.2019 द्वारा पत्रावलियों/लंबित दावों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने एवं भुगतान में विलम्ब का कारण बताये जाने हेतु लिखित रुप से पत्राचार किया गया जिसपर सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नाजिर द्वारा भुगतान से संबंधित पत्रावलियों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। **(नाजिर को दिये गये आदेश की फोटोप्रति संलग्न)**

2. उपर्युक्त विषयक प्रकरण में लेखा परीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रुप से प्रभारी अधिकारी नाजिरात से मिलकर अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जिसपर प्रभारी अधिकारी (नाजिरात)द्वारा श्री मोईज अहमद नाजिर को बार–बार आदेशित किया गया किन्तु नाजिर द्वारा न तो पत्रावलियाँ परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई न ही छः माह या उससे अधिक समय से लंबित भुगतान के दावों में भुगतान में विलम्ब के कारण का उल्लेख करते हुये पत्रावलियाँ उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके फलस्वरुप आपके आदेश संख्या I/564/के./2018–19, दिनांक 13.03.2019 का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार का कार्य नाजिर का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा अन्यथा आशय का द्योतक है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रभारी अधिकारी (नाजिर) द्वारा नाजिर को दिये गये स्पष्ट निर्देशों की फोटोप्रतियाँ संलग्न करते हुये प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण जो गंभीर प्रकृति का है आप द्वारा यथोचित निर्णय लेकर समुचित दिशा–निर्देश पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है ताकि लेखा नियमावली के नियम–75(2)(3) के अन्तर्गत लेखों की जाँच पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र शासन में तद्नुसार प्रेषित किया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–01डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–13.06.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– नगर निगम सीमान्तर्गत संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली,2013 में उल्लिखित सम्पत्तियों के कर मूल्यांकन से सम्बन्धित पत्रावलियों का अभी तक परीक्षण न कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय से जारी परिपत्र सं0–14डी/16/मु0न0ले0प0, दिनांक–05.05.2012, पत्र सं0–109डी/16/मु0न0ले0प0, दिनांक–26.02,2013, पत्र सं0–111डी/16/मु0न0ले0प0, दिनांक–07.03.2013, पत्र सं0–18 डी/16/मु0न0ले0प0, दिनांक–04.05.2013,पत्र सं0–42डी/16/मु0न0ले0प0, दिनांक–17.12.2015, पत्र सं0–34 डी/16 /मु0न0ले0प0, दिनांक–06.10.2016 तथा पत्र स0–35डी/16/मु0न0ले0प0, दिनांक–07.10.2016, एवं विशेष आपत्ति संख्या–02/वि0आ0/2017–18, दिनांक–20.06.2017 द्वारा कर विभाग के संशोधित गृहकर से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों को परीक्षण हेतु बार–बार लिखित रुप से माँगें जाने के बावजूद जिम्मेदार अद्यतन तिथि तक न तो उपलब्ध कराया गया न ही परीक्षण कराने हेतु कर विभाग के किसी अधिकारी/जोनल अधिकारी द्वारा कोई प्रयास या पत्राचार ही किया गया। अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण लेखा नियमावली के नियम–75 एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली,2013 के अनुसार सम्पतियों का विवरण तथा मासिक किराये की दर निम्नवत् निर्धारित किया गया है:–

अनुसूची

श्रेणी	सम्पति का विवरण	अनावासीय भवनों की मासिक किराये की दर
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान(राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
3	क्रीड़ा केन्द्र या जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र और थियेटर तथा सिनेमागृह आदि।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का दो गुना
4	छात्रावास और शैक्षिणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा–177 के खण्ड(ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
5	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि।	उपनियम(1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मंदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना
7	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
8	औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का चार गुना
10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न जोनों में उक्त प्रकार के प्रतिष्ठानों का या तो संशोधित कर निर्धारण नही किया गया है या तो कर निर्धारण मनमानें तरीके से किया गया है। प्रत्येक जोनों में उपरोक्त प्रकार के प्रतिष्ठानों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के बावजूद गृहकर के मद में आशातीत वृद्धि नहीं हो पा रही है। संशोधित नियमावली के अनुसार कर मूल्यांकन कर दिये जाने के फलस्वरुप नगर निगम के गृहकर में निःसंन्देह व्यापक पैमाने पर वृद्धि होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा विभाग से जोनल अधिकारियों से बार–बार पत्राचार किये जाने के बावजूद अभिलेखों को प्रस्तुत न किया जाना तथा आडिट के प्रति उदासीनता बरते जाने से नगर निगम के गृहकर की जाँच नहीं हो पा रही है। नगर निगम में जहाँ राजस्व वृद्धि हेतु मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी, कर अधीक्षक तथा कर निरीक्षक के पदस्थ होने के बावजूद गृहकर में अपेक्षित सुधार न हो पाना इस बात का प्रमाण है कि सम्बन्धित कार्मिक सम्भवतः अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नही कर पा रहे है। कर विभाग के कार्मिको के कार्यो का समय–समय पर समीक्षा करते हुये गृहकर के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है अन्यथा निकट भविष्य में राज्य वित्त आयोग से प्रोत्साहन स्वरुप मिलने वाली धनराशि में भी कटौती किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जोनों में पूर्व में निर्धारित करों को भी आउटसोर्सिंग तथा संविदा पर कार्यरत कतिपय कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा मनमाने तरीके से वार्षिक मूल्यांकन की दरों में भी परिर्वतन कर दे रहें है जिसका कोई रिकार्ड भी सुरक्षित नहीं रखा जाता है। जिससे उसकी जाँच की जा सकें। इस प्रकार के परिर्वतन से नगर निगम को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। गृहकर के आय में वृद्धि न होने का यह भी प्रमुख कारण है जबकि कर मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण को अन्य विभागों की भाँति निगम के किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास कम्प्यूटर पासवर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिये जो आवश्यकतानुसार उनके लिखित

आदेश/निर्देश से ही मूल्यांकन की दरों में परिर्वतन किया जा सकें तथा रिकार्ड हेतु संबंधित अधिकारी के आदेश विभाग में सुरक्षित रखे जाय ताकि समय समय पर सक्षम प्राधिकारी के पारित आदेश के आधार पर कर की दरों में परिर्वतन किये जाने के वास्तविकता की जाँच अभिलेखें से किया जा सकें।

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त भवनों का कर मूल्यांकन संशोधित नियमावली–2013 के अनुसार पत्रावलियों का परीक्षण कराये जाने हेतु समस्त जोनल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि तद्नुसार कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरते जाने वाले कार्मिको के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रकरण आपके संज्ञान में लाया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–02डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–26.06.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– परिवहन विभाग में पिछले तीन वर्षो में छोटी–बड़ी गाड़ियों के मरम्मत तथा आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

नगर निगम के परिवहन विभाग में छोटी तथा बड़ी गाड़ियों के मरम्मत तथा सामानों की आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण पिछले कई वर्षो से नहीं कराया जा रहा है जबकि परिवहन विभाग के अभिलेखों का परीक्षण कराये जाने हेतु तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या–I/132/न0आ0/2017–18, दिनांक 20.06.2017 द्वारा श्री ए0के0 राम, अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिकी) को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के बावजूद परीक्षण हेतु अभिलेखोंको उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर निगम के परिवहन विभाग में छोटी–बड़ी गाड़ियों के कय किये जाने से मरम्मत किये जाने तक समस्त कार्यवाही एक ही पत्रावली में की जानी चाहिए जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रत्येक वाहन में कब–कब क्या–क्या सामान लगे तथा मरम्मत पर अबतक कितनी धनराशि का व्यय किया गया तथा खराब सामानों की भी जाँच हो सकें। कई वाहनों पर इतनी अधिक धनराशि व्यय किया जा चुका है कि मरम्मत योग्य धनराशि की तुलना में नये वाहन कय किये जा सकते थे। अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कारण नगर निगम अधिनियम की धारा 142(2) तथा लेखा नियमावली के नियम–75 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि निगम के वाहनों में प्रत्येक स्तर से किये जा रहे अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा प्रत्येक वाहनों के मरम्मत के फलस्वरुप भुगतान तथा अपूर्ति के फलस्वरुप व्यय की गयी धनराशि की नियमित रुप से जाँच हेतु समुचित आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।

(विशेष आपत्ति संख्या–03डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–26.06.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– विभिन्न वाट के फ्लडलाइट सेट तथा गेयर बाक्स की नीलामी प्रकिया में प्रत्येक स्तर पर अनियमितता किये जाने के कारण हुयी आर्थिक क्षति के संबंध में।

विभिन्न वार्डो से इकट्ठा किये गये भिन्न–भिन्न वाट के फ्लड लाइट सेट तथा गेयर बाक्स के नीलामी की कुल धनराशि रु. 14,98,105.00+18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित कुल रु. 17,67,763.90 निगम कोष में जमा किया गया। मेसर्स सिद्धराज माधवेन्द्र इण्टरप्राइजेज, जैतपुरा, वाराणसी को नीलामी की आय जमा किये जाने हेतु आलोक अधीक्षक के पत्र संख्या–233/4/आलोक/2017–18, दिनांक 30.01.2018 जारी किया गया है। आलोक अधीक्षक द्वारा जारी पत्र संबंधित पत्रावली की जाँच एवं प्राप्त मौखिक जानकारी के आधार पर नीलामी कार्यवाही में

की गयी अनियमितता निम्नवत् है :-

1. नगर निगम के विभिन्न वार्डो में भिन्न-2 क्षमता के फ्लडलाइट सेट, सोडियम सेट तथा अन्य प्रकाश बिन्दुओं पर इससे अधिक क्षमता के भी लाइट निगम द्वारा लगाये गये थे। नीलामी के अलावा अन्य लाइटों या उपकरणों के संबंध में कोई जानकारी स्टाक बुक तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही करायें गयें। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नीलामी के बाद क्या-क्या विद्युत उपकरण शेष बचे है। निगम में प्रकाश बिन्दुओं/पोलों की वास्तविक संख्या तथा उसका विस्तृत विवरण मय पत्रावलियों सहित बार-बार माँगें जाने के बावजूद आडिट हेतु न तो उपलब्ध कराया गया और न ही किसी अन्य स्तर से निकाले गये या निष्प्रयोज्य सामानों की जाँच ही करायी गयी। निष्प्रयोज्य सामानों की वास्तविक संख्या के आधार पर स्टाक बुक में प्रवृष्टि कराकर खराब सामानों की यदि नीलामी की गयी होती तो सम्भवतः निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सकता था।

2. आलोक विभाग द्वारा ही सामानों को विभिन्न स्थलों से इकट्ठा करना, निष्प्रयोज्य घोषित करना तथा नीलामी की कार्यवाही कराकर आलोक अधीक्षक द्वारा अपने स्तर या विभाग की मिलीभगत से नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण कराकर पैसा जमा कराया जाना निःसन्देह ही प्रत्येक स्तर की कार्यवाही में अनियमितता बरती गयी। इस प्रकार की कार्यवाही से निगम को हुई सम्भावित आर्थिक क्षति की जिम्मेदारी आलोक विभाग के उत्तरदायी कर्मचारियों की निर्धारित किया जाना अपेक्षित है ताकि भविष्य में उत्तरदायी कार्मिक अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही न कर सकें।

3. आलोक विभाग द्वारा घोषित निष्प्रयोज्य सामानों का अनुपयोगी रजिस्टर से स्टाक बुक की जाँच आजतक न तो कराया गया और न ही नीलामी से संबंधित पत्रावली को आलोक अधीक्षक, अवर अभियन्ता (आलोक) तथा स्टोर कीपर से बार-बार लिखित तथा मौखिक रुप से माँगें जाने के बावजूद उपलब्ध ही कराया गया। अभिलेखों का परीक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-142(2) एवं लेखा नियमावली के नियम-75 का उल्लंघन तथा अन्यथा आशय का द्योतक है।

4. आलोक विभाग में निष्प्रयोज्य फ्लड लाइट सेट तथा खराब विद्युत उपकरणों की अनुमानित कीमत का आँकलन निगम से भिन्न किसी तकनीकी अधिकारी या कर्मचारी से कराकर प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काफी प्रचार-प्रसार कराकर यदि नीलामी की कार्यवाही की गयी होती तो कई फर्मो के भाग लेने के कारण निगम को प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त होता। इस प्रकार की कार्यवाही न कराकर नियमों के विपरीत तथा स्वेच्छाचारिता से नीलामी की कार्यवाही कराया जाना संबंधित का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा मनमानेंपन का द्योतक है।

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि आलोक अधीक्षक द्वारा निष्प्रयोज्य फ्लड लाइट सेट को भिन्न भिन्न वार्डो से इकट्ठा कराकर नीलामी की कार्यवाही मे प्रत्येक स्तर की अनियमितता की गयी है जिसकी जाँच कराकर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि मनमानें तरीके से नीलामी की कार्यवाही कराकर निगम को पहुँचायी गयी आर्थिक क्षति की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकें। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी तद्नुसार अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(विशेष आपत्ति संख्या-04डी/16/मु.न.ले.प./2019-20, दिनांक-28.06.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की पालीथीन तथा थर्मोकोल वस्तुओं के चालान से प्राप्त आय में अनियमितता किये जाने के संबंध में।

कृपया सादर अवगत कराना है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की पालीथीन, कैरी बैग, प्लास्टिक तथा थर्मोकोल वस्तुओं के प्रयोग किये जाने पर मात्रा के अनुसार दुकानदारों से धनराशि वसूल किये जाने का नियमों में प्राविधान किया गया है। उपरोक्त प्रतिबन्धित सामानों का चालान किये जाने के फलस्वरुप अर्थदण्ड की

वसूली स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न वार्डो के स्वास्थ्य निरीक्षक, सेनेटरी सुपरवाईजर तथा अन्य कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है जिनमें न तो सामान की मात्रा, अर्थदण्ड देने वाले व्यक्ति का पता तथा सम्पर्क नम्बर अंकित न किये जाने से मनमाने तरीके से अर्थदण्ड के वसूली का सत्यापन क्षेत्र मे दिये गये रसीदों से नही हो पा रहा है। बुक संख्या–24, रसीद संख्या–1195, नाम–पंकज सोनकर, दिनांक–21.06.2019 की फोटोप्रति संलग्न है जिससे निर्धारित दर से कम धनराशि तथा प्रतिबंधित सामनों का कालम रिक्त रखकर अनियमितता की जा रही है।

1. प्रतिसिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पालीथिन, कैरी बैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं के मात्रा का स्पष्ट विवरण शमन शुल्क पुस्तिका में छपी रसीद पर है लेकिन चालान करते समय यदि मात्रा भरा जाता तो उसके अनुसार अर्थदण्ड की वसूली की जाती उसे रिक्त रखकर अर्थदण्ड की धनराशि में अनियमितता की जा रही है।

2. परीक्षण के दौरान रसीद संख्या–1195 की तीनों प्रतियाँ रसीद बुक में ही लगी पायी गयी एवं शुल्क चुकाने वाले नागरिक को कोई रसीद न दिया जाना यह संदेह उत्पन्न करता है कि वास्तविक रुप में अधिक धनराशि वसूल करके रसीद बुक में मात्र 50 रुपये अंकित करके निगम कोष में धनराशि जमा किया गया है। संबंधित नागरिक से वसूली गयी धनराशि को छिपाने के लिये उसे रसीद की मूल प्रति नहीं दी गयी।

3. प्रतिबन्धित श्रेणी के 100 ग्राम तक के सामानों के अर्थदण्ड की न्यूनतम धनराशि 1000.00 रुपये निर्धारित है जिसका उल्लेख रसीद बुक पर भी है। इसके बावजूद मात्र 50.00 रुपयें की रसीद बुक में प्रविष्टि करके वसूली किया जाना अनियमित तथा आपत्तिजनक है।

अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त रसीदों की तीनों फोटो प्रतियाँ संलग्न करते हुये प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि प्रतिबन्धित सामानों की मात्रा का उल्लेख करते हुये जुर्माना चुकाने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा वसूल की गयी धनराशि शब्दो तथा अंको में अंकित करते हुये वसूली किये जाने हेतु समस्त संबंधित उत्तरदायी कार्मिको को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है ताकि जो जनता/दुकानदार को रसीद दी गयी है उस धनराशि के वास्तविकता का सत्यापन समय–समय पर अंकित सम्पर्क नम्बर/पते से किया जा सके।

(विशेष आपत्ति संख्या–05डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–28.06.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– श्रीमती मुन्नी पुत्री श्री महावीर, सेवानिवृत्त, सफाई कर्मचारी, को एक माह का अतिरिक्त वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने के संबंधं में।

श्रीमती मुन्नी पुत्री श्री महावीर, सेवानिवृत्त, सफाई कर्मचारी, खोजवा वार्ड की पेंशन/उपादान पत्रावली की जाँच सेवापुस्तिका से किये जाने पर श्रीमती मुन्नी की जन्मतिथि–01.03.1959 अंकित पाया गया। नियमानुसार श्रीमती मुन्नी को दिनांक–28.02.2019 के अपरान्ह में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था लेकिन दिनांक–31.03.2019 को सेवानिवृत्त करके श्रीमती मुन्नी, सफाई कर्मचारी को माह मार्च,2019 का वेतन भुगतान प्रमाणक संख्या–56, दिनांक–09.04.2019 द्वारा रुपया–45,340.00 (रु. पैतालीस हजार तीन सौ चालीस) मात्र का अनियमित भुगतान किया गया। वेतन या अन्य प्रकार के भुगतानों की संबंधित विभाग से लेकर लेखा विभाग द्वारा कई स्तरीय जाँच होने के बाद भुगतान किये जाने की व्यवस्था निगम में होने के बावजूद एक माह के अतिरिक्त वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग से लेकर लेखा विभाग तक किसी स्तर पर सुसंगत अभिलेखों से मिलान करके जाँच नहीं किया जाता। प्रत्येक स्तर पर केवल औपचारिक रुप से हस्ताक्षर किये जाते है। श्रीमती मुन्नी को माह मार्च,2019 के अनियमित वेतन/भत्तों के भुगतान की धनराशि रुपया–45,340.00(रु. पैतालीस हजार तीन सौ चालीस) मात्र का समायोजन परीक्षणोपरान्त उपादान से कर लिया गया है। निगम में प्रतिवर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त किये जाने की सूची प्रतिवर्ष निगम प्रशासन द्वारा प्रकाशित किये जाने के बावजूद स्वास्थ्य निरीक्षक खोजवाँ सबजोन द्वारा नगर

स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से सेवानिवृत्त किये जाने हेतु सूचना दिये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त तथा मृत्यु हुये कार्मिको के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु अन्तिम भुगतान प्रमाणक तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को परीक्षण हेतु माँगें जाने के बावजूद समय से अभिलेखों को उपलब्ध न कराकर पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों या अन्य माध्यम से प्रायः दबाव डाला जाता है। ऐसी स्थिति में कभी–कभी अन्तिम भुगतान प्रमाणक तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों के अभाव में उपादान की कुछ प्रतिशत धनराशि स्थगित रखते हुये प्रकरण निस्तारित कर दिया जाता है। स्थगित उपादान को जारी करते समय भविष्य में यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो विभागीय आख्यानुसार स्थगित उपादान से तद्नुसार समायोजन कर लिया जाता है तथा मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किये जाते है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि प्रत्येक दावों की संबंधित अभिलेखों से मिलान/जाँच किये जाने के बाद भुगतान किया जाय ताकि अनियमित भुगतान न हो सकें। इस आशय का निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों को आप द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में लापरवाही तथा शिथिल पर्यवेक्षण बरते जाने के कारण अनियमित भुगतान की दशा में संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक के संबंध में आप द्वारा उचित कार्यवाही किया जाना समीचीन प्रतीत होता है ताकि भुगतान जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में उत्तरदायी कार्मिक अपने कर्तव्यो के प्रति जागरुक रहकर कार्य सम्पादित करें ताकि वित्तीय अनियमितता जैसे गंभीर प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–06डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–04.07.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– संशोधित सम्पत्ति कर नियमावली–2013 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत सम्पत्तियों के कर मूल्यांकन में नियमितता किये जाने के फलस्वरुप निगम को हो रहे राजस्व हानि के संदर्भ में।

नगर निगम में गृहकर आय का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य स्त्रोत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर निगमों के राजस्व वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है। सरकार की मंशा के अनुरुप वाराणसी नगर निगम द्वारा लाइसेन्स शुल्क की वसूली के लिये कैम्प लगाकर हॉस्पिटल, नर्सिगं होम, पैथालाजी, क्लिनिक, लाज एवं होटल, आदि का लाइसेन्स शुल्क प्राप्त किया गया। जिन आवासीय भवनों में उपर्युक्त संस्थान संचालित होते है उनका व्यावसायिक उपयोग होने पर वार्षिक मूल्यांकन संशोधित सम्पति कर नियमावली–2013 के अन्तर्गत सामान्य गृहकर का तीन से पाँच गुना कर आरोपित किये जाने का प्राविधान किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की आवासीय भवनों में व्यावसायिक उपयोग होने के बावजूद उसका वार्षिक मूल्यांकन संशोधित नही किया गया जिससे निगम को बहुत अधिक राजस्व क्षति हो रही है। जाँच के दौरान ऐसे भवनों जिसका आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग होने के बावजूद आवासीय कर आरोपित किया गया है उसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	भवन संख्या	देय वार्षिक कर
1.	एलीट आई केयर सेन्टर	B.21/124-A-16	1685.00
2.	आलोक हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर	S.2/1-21	3154.00
3.	शिवा पैथोलाजी सेन्टर	N.8/236-K-10	1030.00
4.	मन्नत हास्पिटल	J.3/88	803.00
5.	वरदान हास्पिटल	N.8/180	965.00
6.	मसीहा सर्जिकल सेन्टर	K.14/15	1201.00

7.	पारुल पैथोलाजी	B.31/83	1073.00
8.	आंकाक्षा हास्पिटल	N.1/66-A-T-1	694.00
9.	देव मैटर्निटी होम	S.2/639-8	1785.00
10.	सुविधा हाईटेक डायग्नोस्टिक	B.27/92	5192.00
11.	डा. राजीव क्लीनिक	D.58/52	1774.00
12.	ज्योर्तिमय हास्पिटल	D.64/68-A-2	1744.00
13.	नोबल स्टार डाइग्नोस्टिक सेन्टर	B.31/82-M	1663.00
14	सिटी आइडियल हास्पिटल	J.27/18-S	257.00

उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे आवासीय भवन जिनमें व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही है ऐसे भवन समस्त जोनों में होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कर विभाग की लचर कार्यप्रणाली तथा संबंधित कार्मिक का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरते जाने के कारण नगर निगम कों व्यापक पैमाने पर आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही है।

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि भवनों के कर मूल्यांकन में कई स्तर से प्रत्येक जोनों पर अनियमितता की जा रही है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है ताकि गृहकर निर्धारण में अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु प्रकरण समय–समय पर आपके संज्ञान में लाया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–07डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–11.07.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– मानचित्र स्वीकृत किये जाने के, पूर्व विकास प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरुप निर्धारित शुल्क में अनियमितता किये जाने के संबंध में।

नगर निगम द्वारा मानचित्र अनापत्ति देने के लिये निगम द्वारा सुदृढीकरण शुल्क, अम्बार शुल्क, एवं मार्ग खुदाई शुल्क मानक से कम लिया जा रहा है जिससे निरन्तर राजस्व हानि हो रही है। पूर्व में भी पत्रांक संख्या 06/वि.आ./मु.न.लेप./2017–18, दिनांक 11.09.2017 तथा पत्रांक संख्या 07/वि.आ./मु.न.ले.प./2017–18, दिनांक 25.10.2017 द्वारा तात्कालीन नगर आयुक्त महोदय को इस संबंध में सूचित किया गया था। उपरोक्त शुल्को के प्राप्त किये जाने की गणना संबंधित वार्डो के अवर अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है। अवर अभियन्ताओं द्वारा पदनाम की मोहर तथा स्पष्ट हस्ताक्षर न हो पाने के कारण आख्या दिये जाने वाले अवर अभियन्ता का नाम सरचार्ज निर्धारित किये जाने हेतु उल्लिखित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निरन्तर राजस्व हानि होना संबंधित वार्ड के अवर अभियन्ताओं की लापरवाही को दर्शाता है जो नगर निगम राजस्व हित में नही है। राजस्व विभाग की मात्र 16 पत्रावलियों के परीक्षण में सुदृढीकरण की गणना त्रुटिपूर्ण किये जाने के कारण कुल रु. 40,624.00 (कुल रु. चालीस हजार छः सौ चौबीस) मात्र की राजस्व हानि पाई गयी है। जिसका वार्ड वाईज विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	नाम	पत्रांक संख्या	वार्ड/अवर अभियन्ता का हस्ताक्षर	राजस्व हानि
1	श्री बबलू जायसवाल व श्रीमती पूजा जायसवाल	793/राजस्व/2018–19	बिरदोपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	807.00
2.	श्रीमती गीता जायसवाल पत्नी श्री अशोक कुमार जायसवाल	775/राजस्व/2018–19	काशीपुरा/हस्ताक्षर अस्पष्ट	827.00

3.	मो0 आरिफ	771/राजस्व/ 2018–19	भेलूपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	5936.00
4.	श्रीमती शशि लोहियाँ पत्नी श्री अशोक लोहियाँ	743/राजस्व/ 2018–19	शिवपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	163.00
5.	श्री बच्चा पुत्र स्व0 बसन्तु	688/राजस्व/ 2018–19	अकथा/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	1319.0
6.	श्री राधेश्याम	638/राजस्व/ 2018–19	काशीपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	3953.00
7.	श्री आर0के0 अहूजा	639/राजस्व/ 2018–19	शिवपुरवा/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	2227.00
8.	श्रीमती हीरावती देवी पत्नी श्री रामचरण शास्त्री	616/राजस्व/ 2018–19	ककरमत्ता/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	9533.00
9.	श्री विरेन्द्र कपूर पुत्र स्व0 भोलानाथ	606/राजस्व/ 2018–19	दशाश्वमेध/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	4455.00
10.	श्री दिनेश सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह	605/राजस्व/ 2018–19	शिवपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	128.00
11.	श्रीमती सविता सिंह पत्नी ज्ञान प्रकाश सिंह	686/राजस्व/ 2018–19	भेलूपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	2682.00
12.	श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र गणेश प्रसाद शर्मा	648/राजस्व/ 2018–19	नगवा(भेलूपुर)/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	751.00
13.	श्री रामबाबू गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता	662/राजस्व/ 2018–19	भेलूपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	1252.00
14.	श्री हीरालाल यादव पुत्र श्री कोमल प्रसाद	670/राजस्व/ 2018–19	दशाश्वमेध/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	1585.00
15.	श्रीमती हर्षा पुर्सवानी पत्नी दीपक कुमार	683/राजस्व/ 2018–19	भेलूपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	2258.00
16.	श्रीमती मोहित चौरसिया	682/राजस्व/ 2018–19	भेलूपुर/ हस्ताक्षर अस्पष्ट	2748.00
			कुल योगः–	40624.00

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि अम्बार शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क की गणना में अनियमितता करके नगर निगम को रुपया 40,624.00(चालीस हजार छः सौ चौबीस) मात्र की राजस्व हानि संबंधित वार्डो के अवर अभियन्ताओं द्वारा पहुँचायी गयी जो नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत सरचार्ज की परिधि में आ रहा है जिसकी वसूली संबंधित वार्डो के अवर अभियन्ताओं के वेतन से कराते हुये संबंधित को प्रतिकूल प्रवृष्टि दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णत तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

(विशेष आपत्ति संख्या–08डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–29.07.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– मानचित्र स्वीकृत किये जाने के पूर्व विकास प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरुप निर्धारित शुल्क में अनियमितता किये जाने के संबंध में।

नगर निगम द्वारा मानचित्र अनापत्ति देने के लिये निगम द्वारा सुदृढीकरण शुल्क, अम्बार शुल्क, एवं मार्ग खुदाई शुल्क मानक से कम लिया जा रहा है जिससे निगम को निरन्तर राजस्व हानि हो रही है। पूर्व में भी पत्रांक संख्या 06/वि.आ./मु.न.लेप./2017–18, दिनांक 11.09.2017, पत्रांक संख्या 07/वि.आ./मु.न.ले.प./2017–18,

दिनांक 25.10.2017 तथा पत्रांक संख्या 08/वि.आ./मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 29.08.2019 द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय को इस संबंध में सूचित किया गया था। उपरोक्त शुल्को के प्राप्त किये जाने की गणना संबंधित वार्डो के अवर अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है। अवर अभियन्ताओं द्वारा पदनाम की मोहर तथा स्पष्ट हस्ताक्षर न हो पाने के कारण आख्या दिये जाने वाले अवर अभियन्ता का नाम सरचार्ज निर्धारित किये जाने हेतु उल्लिखित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। निरन्तर राजस्व हानि होना संबंधित वार्ड के अवर अभियन्ताओं की लापरवाही को दर्शाता है जो नगर निगम राजस्व हित में नही है। राजस्व विभाग की मात्र 08 पत्रावलियों के परीक्षण में सुदृढीकरण की गणना त्रुटिपूर्ण किये जाने के कारण कुल रुपया 21899.00 (एक्कीस हजार आठ सौ निन्यानवे) मात्र की राजस्व हानि पाई गयी है जिसका वार्ड वाईज विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	नाम	पत्रांक संख्या	वार्ड/अवर अभियन्ता का हस्ताक्षर	राजस्व हानि
1	श्री किशोर कपूर पुत्र श्री तिलकराम	371/राजस्व/2018–19	चुप्पेपुर, शिवपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	1648.00
2.	श्री सोनवर्षा देवी पत्नी अशोक कुमार दुबे	555/राजस्व/2018–19	विरदोपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	627.00
3.	श्री बलबोध सिंह पुत्र श्री वृहस्पति राम	487/राजस्व/2018–19	शिवपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	1771.00
4.	डा. गणपति झाँ पुत्र श्री राम शरण	340/राजस्व/2018–19	भेलूपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	733.00
5.	श्री ओमप्रकाश बजाज पुत्र स्व0 सुन्दर लाल	584/राजस्व/2018–19	जैतपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	4297.00
6.	श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री अतुल कुमार	554/राजस्व/2018–19	शिवपुरवा/हस्ताक्षर अस्पष्ट	1790.00
7.	श्रीमती अंजली अग्रवाल पत्नी श्री रवि अग्रवाल	504/राजस्व/2018–19	शिवपुरवा/हस्ताक्षर अस्पष्ट	9094.00
8.	श्री आशीष अग्रवाल	407/राजस्व/2018–19	विरदोपुर/हस्ताक्षर अस्पष्ट	1939.00
			कुल योगः–	21899.00

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि अम्बार शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क की गणना में अनियमितता करके नगर निगम को रुपया 21899.00 (एक्कीस हजार आठ सौ निन्यानवे) मात्र की राजस्व हानि संबंधित वार्डो के अवर अभियन्ताओं द्वारा पहुँचायी गयी जो नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत सरचार्ज की परिधि में आ रहा है जिसकी वसूली संबंधित वार्डो के अवर अभियन्ताओं के वेतन से कराते हुये संबंधित को प्रतिकूल प्रवृष्टि दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

(विशेष आपत्ति संख्या–09डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–04.09.2019)

नगर आयुक्त महोदय

ठोस अपशिष्ट प्रबधन उपविधि–2017 के अनुसार प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथिन, कैरीबैग, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा के अनुसार अर्थदण्ड बसूलने का प्रावधान है जिसके तहत 100 ग्राम तक उक्त वस्तुओं के पकड़े जाने पर रु. 1000.00 धनराशि के अर्थदण्ड (न्यूनतम अर्थदण्ड) वसूलने का प्रावधान है। किन्तु सम्परीक्षा में पाया गया कि बुक क्रमांक–17 पर नियमों के विपरीत अर्थदण्ड लिये जाने के कारण नगर निगम को काफी राजस्व हानि हो रही है। रसीद बुको को भी पूरा नही भरा जाता जिससे अनियमितता किये जाने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। कुछ रसीदों का विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	बुक क्रमांक/रसीद क्रमांक	सामग्री का वजन	वसूली गयी राशि	नियमानुसार वसूले जाने योग्य धनराशि	नगर निगम को राजस्व हानि	अन्य विवरण
1	17/15	1 किलो	200.00	5000.00	4800.00	मोबाईल नम्बर, पता और वजन अंकित नहीं है।
2.	17/17	–	500.00	1000.00 (न्यूनतम)	500.00	मोबाईल नम्बर और वजन अंकित नहीं है।
3.	17/18	–	200.00	1000.00 (न्यूनतम)	800.00	मोबाईल नम्बर और वजन अंकित नहीं है।
4.	17/19	–	200.00	1000.00 (न्यूनतम)	800.00	मोबाईल नम्बर और वजन अंकित नहीं है।
5.	17/20	–	500.00	1000.00 (न्यूनतम)	500.00	मोबाईल नम्बर और वजन अंकित नहीं है।
				कुल योगः–	7400.00	

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि नियमों का अनुपालन न करने से निगम को रुपया 7400.00 (रु. सात हजार चार सौ) मात्र की राजस्व हानि हुई है। उक्त प्रकरण आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि उक्त अनियमितताओं के लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(विशेष आपत्ति संख्या–10डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–11.09.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– चौदहवे वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्य के फलस्वरुप माँ बागेश्वरी बिल्डर्स को अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत रु. 7,61,722.00 (रु. सात लाख एकसठ हजार सात सौ बाईस) मात्र का अधिक भुगतान किये जाने के संबंध में।

वार्ड नम्बर–15 जी.टी. रोड स्थित होटल रीजेन्सी (पुलिया) से जूता मार्केट व बाबा बिजली शहीद मजार होते हुये मरी माई पुलिया तक आर.सी.सी. नाला निर्माण व पाथवे निर्माण से संबंधित पत्रावली के परीक्षणोपरान्त पायी गयी अनियमितता निम्नवत् है :–

1. जी.एस.टी. के कारण बढ़ी धनराशि कुल रु. 7,61,722.00 (रु. सात लाख एकसठ हजार सात सौ बाईस) मात्र को नगर निगम निधि से भुगतान किया गया जबकि अनुबंध पत्र के अनुसार भविष्य में यदि कोई कर/टैक्स बढ़ता है तो उसे द्वितीय पक्ष यानि ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। जी.एस.टी. के रुप में बढ़ी धनराशि को नगर निगम निधि से भुगतान किया गया है। नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 149(3) व लेखा नियमावली के नियम–85 का स्पष्ट उल्लंघन करके इस प्रकार भुगतान किया जाना अनियमित तथा आपत्तिजनक है।
2. अनुबन्ध पत्र दिनांक 12.05.2017 को किया गया जबकि कार्य पूर्ण कराने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
3. उक्त कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 05.02.2018 है जबकि स्वीकृति दिनांक 12.05.2017 को मिल गयी थी। लगभग 10 माह बाद विलम्ब से कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में कोई अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।
4. चौदहवे वित्त आयोग व नगरीय अवस्थापना विकास निधि के तहत प्रस्ताव संख्या–04 के कम संख्या 04

में नाले के बगल में एक तरफ पाथवे का निर्माण किया जायेगा का उल्लेख करते हुये समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। पाथवे बनाया गया या नहीं ? पाथवे बनाये जाने की प्रवृष्टि माप पुस्तिका में तथा पाथवे का फोटो ग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि पाथवे का निर्माण ही नही कराया गया है। प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत संज्ञान में इस आशय से लाया जा रहा है कि अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत कार्य कराकर ठेकेदार/फर्म को भुगतान किया जाना अनियमित तथा आपत्तिजनक है। इस प्रकार के कार्य कराकर भुगतान किये जाने के संबंध में आप द्वारा उचित आदेश/निर्देश पारित किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–77 के अन्तर्गत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेतन में शामिल कराकर प्रतिवेदन के माध्यम से शासन को भी तद्नुसार सूचित किया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–11डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–12.09.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– लेखा विभाग द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव लेखा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार न किये जाने के कारण वित्तीय अनियमितता के संबंध में।

नगर निगम के लेखा विभाग में विभिन्न निधियों से प्राप्त धनराशि रोकड़ बही (कैश बुक) में अंकन कराकर उसके अनुसार आहरण एवं वितरण किया जाता है तथा धनराशि के लेनदेन का प्रतिदिन नियमित रुप से परीक्षण कराया जाता है। निगम के विभिन्न निधियों की रोकड़ बही को लिखने व रखरखाव में अनियमितता एवं नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण भविष्य में कभी भी गंभीर वित्तीय अनियमितता होने की पूर्ण सम्भावना है। लेखा नियमावली में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है जिनका उल्लंघन किया जा रहा है।

1. **लेखा नियमावली –1960 के नियम–58(1) के अनुसार :–** सामान्य रोकड़ बही को प्रतिदिन बन्द किया जायेगा तथा उसकी बाकी निकाली जायेगी और उस पर लेखा अधिकारी स्वयं तथा नगर आयुक्त अथवा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी हस्ताक्षर करेगें। लेखा विभाग द्वारा विभिन्न निधियों से आहरण एवं वितरण के फलस्वरुप कैशबुक में कई दिनों तक की प्रवृष्टियाँ नहीं की गयी है न ही प्रतिदिन की प्रवृष्टियों को लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही किया जा रहा है।

2. **लेखा नियमावली–1960 के नियम–58(2) के अनुसार :–** प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ बही में दर्ज प्राप्तियों तथा व्ययों का मिलान मदवार बैंक की पासबुक से किया जायेगा और उनके शेष मिलाये जायेगे तथा यदि कोई अन्तर हो तो उसे सामान्य रोकड़ बही में नियमानुसार स्पष्ट किया जायेगा। लेखा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार रोकड़ बही का रखरखाव न किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में अप्रशिक्षित कार्मिको से कैशबुक का अंकन एवं रखरखाव कराया जा रहा है जिससे कभी भी वित्तीय अनियमितता होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

3. **लेखा नियमावली–1960 के नियम–58(4) :–** प्रपत्र संख्या 34 तथा 35 में रजिस्टर रोकड़िया द्वारा रखे जायेगें तथा उन्हे प्रतिदिन बन्द किया जायेगा तथा उनकी बाकी निकाली जायेगी। वास्तविक शेष नकदी की नियमित कालान्तरों पर, परन्तु मास में कम से कम एक बार, नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा तदर्थ रुप से प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी। पिछले कई वर्षो से इसका अनुपालन लेखा विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है न ही प्रपत्र संख्या–34 तथा 35 खजान्ची द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत ही किये जा रहे है। सम्भवतः प्रपत्र संख्या–34 तथा 35 अनुरक्षित नहीं किये जा रहें है।

4. **लेखा नियमावली–1960 के नियम–5 :–** लेखे में भूल सुधार तथा परिवर्तन संबंधी अभिलेख रखने के लिये उत्तरदायी पदधारी द्वारा लाल स्याही से स्वच्छतापूर्वक किये जायेगें और उन पर उनके द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर करके दिनांक डाल दिया जायेगा। प्रमाणक (बाउचर) में परिवर्तनों तथा शुद्धियों का प्रमाणीकरण प्राप्तिकर्ता अथवा आहरण पदाधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, किया जायेगा। लिखावट को मिटाना सर्वथा प्रतिषिद्ध है। कर निर्धारण सूची में

भूल सुधार केवल उन्हीं व्यक्तियों के संक्षिप्त हस्ताक्षरों से की जायेगी जो तदर्थ रुप से प्राधिकृत हों। लेखा नियमावली में इस प्रकार की व्यवस्था इस आशय से की गयी है कि किसी भी प्रमाणक में परिवर्तन/संशोधन अथवा अनियमितता की दशा में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकें।

5. रोकड़ बही में एक मद से दूसरे मद में धनराशि का स्थानान्तरण नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 149(3) व लेखा नियमावली के नियम–85 के अन्तर्गत किया जायेगा। लेखा विभाग द्वारा एक मद से दूसरे मद में धनराशि स्थानान्तरित करके ठेकेदारो के देयको का भुगतान किया गया है जो अनियमित तथा आपत्तिजनक है। इस प्रकार की गलत परम्परा पर प्रभावी नियंन्त्रण हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रोकड़ बही के अनुसार निगम के आय–व्यय का ब्यौरा अनुरक्षित होता है। जहाँ रोकड़ बही का रखरखाव ही नियमों के विपरीत तथा मनमाने ढंग से किया जा रहा है वहाँ स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जन निर्माण तथा अन्य कार्यो के भुगतान में पारदर्शिता किस स्तर की हो सकती है। इस प्रकार से कैश बुक का रख रखाव किया जाना वित्तीय अनियमितता होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कैश बुक में प्रतिदिन के आहरण/वितरण के प्रवृष्टि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न होने के कारण अनियमितता के फलस्वरुप संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि रोकड़ बही का रखरखाव ठीक ढंग से न किया जाना लेखा नियमावली में उल्लिखित उपरोक्त प्राविधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि लेखा नियमावली के नियम–77 के अन्तर्गत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करके शासन को भी तद्नुसार सूचित किया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–12डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–17.09.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– श्रीमती पूना पत्नी श्री बिच्छूलाल, सफाई कर्मचारी के लगभग 04 वर्षो के पलायन के बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन/भत्तों का भुगतान किये जाने के संबंध में।

चौक वार्ड के सफाई कर्मचारियों का माह अगस्त–2019 के वेतन देयक की जाँच में पाया गया कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय आदेश संख्या–II/325/2019–20, दिनांक 31.07.2019 द्वारा श्रीमती पूना पत्नी श्री बिच्छूलाल, सफाई कर्मचारी को दिनांक 01.08.2019 से कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन/भत्तों का भुगतान प्रमाणक संख्या–11, दिनांक 07.09.2019 द्वारा किया गया है। किसी कर्मचारी के लम्बी अवधि तक सेवा से पलायित होने के कारण सेवा में लिये जाने हेतु सम्पूर्ण वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुये नगर आयुक्त महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। पिछले कई वर्षो से पलायित चल रहे कर्मचारी को नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने स्तर से ही सेवा में लिये जाने का आदेश पारित किया जाना अनियमित, आपत्तिजनक तथा अन्यथा आशय का द्योतक है।

2. स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न वार्डो में पिछले कई वर्षो से पलायित चल रहे सफाई कर्मचारियों के संबंध में विशेष आपत्ति संख्या–05डी/16/मु.न.ले.प./2018–19 दिनांक 06 जनवरी,2019 (फोटो प्रति संलग्न) पूर्व में इस आशय से जारी किया गया था कि पिछले कई वर्षो से पलायित चल रहे सफाई कर्मचारियों की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर सेवा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकें। पलायित चल रहे सफाई कर्मचारियों के संबंध में प्रशासनिक स्तर से कोई निर्णय न हो पाने की दशा में पलायित कर्मचारियों को सेवा में लिये जाने की कार्यवाही नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित वार्डो के स्वास्थ्य निरीक्षको द्वारा अपने स्तर से ही आदेश पारित करके वेतन/भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

3. ऐसे सफाई कर्मचारी जो पिछले कई वर्षो से पलायित चल रहे है उनसे संबंधित अभिलेखों जैसे

सेवापुस्तिका, संबंधित कार्मिक के पलायित होने का कारण तथा पलायित अवधि की प्रवृष्टि सेवापुस्तिका में की गयी अथवा नहीं ? पलायन अवधि की प्रवृष्टि सेवापुस्तिका में न किये जाने की दशा में ए.सी.पी. आदि अन्य देयको को भी भविष्य में दिये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न वार्डो में पिछले कई वर्षो से पलायित चल रहे सफाई कर्मचारियों के पलायन की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर नियमानुसार कार्यवाही तथा ऐसे कार्मिको को सेवा में लिये जाने के पूर्व सम्पूर्ण तथ्यों का परीक्षण कराकर ही सेवा में लिया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

(विशेष आपत्ति संख्या–13डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–03.10.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– प्रशासनिक व्यय शुल्क की वसूली हेतु फर्जी रसीद बुकों का उपयोग किये जाने के फलस्वरुप निगम की हो रही आर्थिक क्षति के संबंध में।

नगर निगम के विभिन्न वार्डो में प्रशासनिक शुल्क की वसूली हेतु रसीद बुकें कर्मचारियों को जारी की गयी है। रसीद बुकों के माध्यम से गन्दगी,अतिकमण तथा पालिथीन प्रयोग करने पर जुर्माने के तौर पर धनराशि वसूल करके निगम कोष में संबंधित कर्मचारियों द्वारा चालान बनाकर उनके द्वारा ही प्राप्त धनराशि जमा किया जाता है। चालान या रसीद बुको के अन्तिम पृष्ठों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नही किया जाता है। रसीद बुको पर जुर्माना अदा करने वाले का नाम/पता तथा मोबाईल नम्बर अंकित न हो पाने के कारण जुर्माने की धनराशि के वास्तविकता का सत्यापन नही हो पाता है कि मूल प्रतिपर्ण पर जो धनराशि दर्ज की गयी है वही धनराशि दूसरी प्रतिपर्ण पर भी है। संबंधित कर्मचारियों से बार–बार कहे जाने के बावजूद जुर्माना अदा करने वाले का मोबाईल नम्बर तथा पता अंकित नहीं किया जा रहा है जिससे वसूल की जाने वाली धनराशि के वास्तविकता का सत्यापन किया जा सकें। गृहकर के नामान्तरण संबंधी प्रकरण में रसीद बुको के प्रथम तथा कार्बन कापी में अनियमितता किये जाने का प्रकरण पूर्व में प्रकाश में आ चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आउटसोर्सिग तथा संबिदा पर कार्यरत कर्मचारियों को जिन्हे प्रशासनिक शुल्क की वसूली हेतु पुस्तके जारी की गयी है उनके द्वारा सम्भवतः फर्जी रसीद बुके छपवाकर वसूली की जा रही है जैसा कि बुक संख्या–45 के रसीद संख्या–33 पर नगर निगम सीमा के बाहर जाकर फर्जी रसीद द्वारा रुपया–500.00, दिनांक 19.08.2019 को प्रशासनिक व्यय शुल्क वसूला गया है जबकि उसी पुस्तक के उसी रसीद संख्या–33 पर श्री योगेन्द्र, स्वास्थ्य निरीक्षक, चौक द्वारा दिनांक 20.06.2019 को रुपया–100.00 का शमन शुल्क की रसीद काटी गयी है। **(सुलभ संदर्भ हेतु रसीद बुक की फोटो प्रतियाँ संलग्न है)** निगम द्वारा जारी रसीद बुको से मेल खाती उसी नम्बर की फर्जी रसीद बुकों के प्रयोग किये जाने से निगम की आर्थिक क्षति के साथ–साथ निगम की छवि धूमिल होने की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है।

प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि शमन शुल्क की वसूली हेतु प्रत्येक प्रतिपर्ण पर जुर्माना अदा करने वाले का स्पष्ट नाम, पता तथा मोबाईल नम्बर अंकित करके शमन शुल्क की धनराशि शब्दो तथा अंको में स्पष्ट उल्लेख करते हुये वसूली किये जाने हेतु आप द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है ताकि फर्जी रसीद बुको का उपयोग करके वसूली करने पर पहचान होने की दशा में संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जा सकें। कृपया प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(विशेष आपत्ति संख्या–14डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–15.11.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– मासिक आय–व्यय सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु अभिलेखों को उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में।

नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 142(2) के अनुसार लेखा विभाग में अनुरक्षित लेखों के आय–व्यय सार का मासिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिमाह माननीय कार्यकारिणी समिति के दो सदस्यों के हस्ताक्षरार्थ एवं समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का नियमों में प्राविधान किया गया है। लेखा नियमावली के नियम 77(1) के अनुसार वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जाने तथा नियम 77(2) के अनुसार शासन को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है। लेखा विभाग से मासिक आय–व्यय सार की माँग इस कार्यालय के पत्र संख्या–11(ए)डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 28 मई,2019, पत्र संख्या–59डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 03 सितम्बर,2019, पत्र संख्या–63डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 18 सितम्बर,2019, पत्र संख्या–69डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 31 अक्टूबर,2019 तथा पत्र संख्या–79डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 18 नवम्बर,2019 द्वारा माँगें जाने के बावजूद अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्यकारिणी समिति के समक्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। बार–बार पत्राचार करके अभिलेखों को माँगे जाने के बावजूद उपलब्ध न कराये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखा विभाग में अनुरक्षित अभिलेखों को सम्भवतः पूर्ण नही किया गया है अथवा अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये जा रहे है। अभिलेखों के अभाव में वांछित आय–व्यय सार सम्परीक्षा प्रतिवेदन माह अप्रैल,2019 से अबतक कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। अभिलेखो को परीक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना नगर निगम अधिनियम की धारा 142(2), 144(1) तथा लेखा नियमावली के नियम 75(2)(3) तथा 77(1)(2) का स्पष्ट उल्लंघन है जो संबंधित कर्मचारियों का अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरते जाने का द्योतक है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि लेखा विभाग द्वारा मासिक आय–व्यय सार प्रतिमाह के समाप्ति पर पिछले माह का आय–व्यय सार अगले माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रुप से परीक्षण हेतु उपलब्ध करा दिया जाय ताकि निर्धारित समय सीमा के अन्दर मासिक तथा वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन नियमित रुप से माननीय कार्यकारिणी समिति/शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि तद्नुसार समय से प्रतिमाह सम्परीक्षा प्रतिवेदन मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(विशेष आपत्ति संख्या–15डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–28.11.2019)

नगर आयुक्त महोदय

विषयः– नगर निगम के विभिन्न विभागों के आय–व्यय से संबंधित अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने के संबंध।

नगर निगम के विभिन्न विभागों में आय तथा व्यय से संबंधित अभिलेखों को संबंधित विभागाध्यक्षों/जोनल अधिकारियों से बार–बार लिखित, मौखिक, साधारण आपत्तियों तथा विशेष आपत्तियों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाते है। वांछित अभिलेखों को सम्भवतः जानबूझकर इस आशय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है कि बरती जा रही अनियमितताओं को समय से प्रकाश में न आने पाये। नगर निगम के समस्त लेखों का आडिट न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75(1)(क)(ख)(ग) तथा नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 142(1) तथा धारा 144(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली–1960के (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 के नियम–75(4) में यह

प्राविधान किया गया है कि लेखाओं की परीक्षा और लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ, नगर निगम, लेखा परीक्षा के समक्ष समस्त लेखा रजिस्टर, दस्तावेज और सहायक कागजात पत्र, जो लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित हो सकते है उपलब्ध करायेगा और अन्वेषण में उनकी सहायता करेगा। नियमावली में स्पष्ट प्राविधान होने के बावजूद निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा आडिट कराये जाने हेतु अपने–अपने विभागों से न तो किसी कर्मचारी को नामित किया जाता है न ही आडिट कराये जाने के प्रति किसी स्तर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश/निर्देश ही पारित किये जाते है। यदि प्रत्येक विभागों द्वारा आडिट कराने हेतु कर्मचारी नामित हो जाते तो आडिट न कराये जाने अथवा गबन आदि प्रकरण प्रकाश में आने की दशा में संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित किये जाने के कारण अनियमितता की सम्भावना लगभग नगण्य होती। आडिट के प्रति उपेक्षात्मक रवैया एवं आडिट जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के कारण संबंधित पत्रावलियों एवं अभिलेखों में अनियमितताओं के प्रकाश में आते–आते काफी विलम्ब हो जाता है।

3. राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवर्ष नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य धनराशि का आवंटन किया जाता है। आयोग द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वितरीत होने वाली धनराशि का 05 प्रतिशत या जो भी धनराशि स्थगित है उसे तभी जारी किया जाता है जैसे ही संबंधित निकाय एक वर्ष पूर्व तक अपने लेखों के आडिट पूर्ण होने का आडिट प्रमाण–पत्र जारी करता है। निदेशक द्वारा आडिट प्रमाण–पत्र माँगें जाने पर समय से न जारी होने की स्थिति में रोकी गयी धनराशि अन्य पात्र निकायों में बाँट दी जाती है तथा डिफाल्टर निकायों की स्थगित धनराशि लैप्स हो जाती है। लेखा नियमावली के नियम–75(2) के अनुसार मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा आडिट प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। निगम के अभिलेखों का बिना आडिट पूर्ण हुये आडिट प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जाने की दशा में यदि कोई वित्तीय अनियमितता या गबन के प्रकरण भविष्य में प्रकाश में आता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष/जोनल अधिकारी इसके लिये सीधे उत्तरदायी होगें क्योकि बार–बार लिखित, मौखिक, साधारण आपत्तियों तथा विशेष आपत्तियों के माध्यम से अनुरोध किये जाने के बावजूद अभिलेखों को अन्ततः उपलब्ध न कराये जाने के कारण आडिट कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों तथा लेखा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत आपके व्यक्तिगत जानकारी में इस आशय से लाया जा रहा है कि नियमित रुप से आडिट कराये जाने हेतु अपने–अपने विभाग के किसी कर्मचारी को नामित किये जाने हेतु सभी संबंधित विभागाध्यक्षों/जोनल अधिकारियों को अपने स्तर से आदेशित किये जाने का कष्ट करें ताकि नामित कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरते जाने पर अनियमितता या गबन के प्रकरण प्रकाश में आने पर उनकी जिम्मेदारी निर्धारित किया जा सकें। पिछले वर्ष का बिना आडिट पूर्ण हुये आडिट प्रमाण–पत्र जारी किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। आडिट प्रमाण पत्र के अभाव में राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थगित धनराशि यदि लैप्स होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्षों/जोनल अधिकारियों की मानी जायेगी क्योकि अभिलेखों को प्रस्तुत कराकर आडिट कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होती है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है ताकि लेखा नियमावली के नियम–77(2) के अनुसार वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कराकर प्रकरण शासन को भी संदर्भित किया जा सकें।

(विशेष आपत्ति संख्या–16डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–25.02.2020)

साधारण आपत्ति

मुख्य अभियन्ता

दशाश्वमेध वार्ड 60 राणा प्रताप नगर कालोनी गुरुबाग स्थित पार्क के मरम्मत पाथवे निर्माण का कार्य मेसर्स अनमोल कंस्ट्रक्शन को आगणन दर रुपया 251000.00 से 15 प्रतिशत कम धनांक रुपया 213350.00 (रुपया

दो लाख तेरह हजार तीन सौ पचास) मात्र पर दिया गया। पत्रावली में दाई तरफ पृष्ठ संख्या 31 पर जारी कार्य आदेश दिनांक 24.06.2017 के आधार पर ठेकेदार को कार्य 01 माह में पूर्ण करना था परन्तु ठेकेदार ने कार्य लगभग 14 माह विलम्ब से दिनांक 28.09.2018 को समाप्त किया। पत्रावली के दाहिनी ओर पृष्ठ संख्या–32,33 तथा 34 पर तात्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिये ठेकेदार को बार–बार पत्र दिया। अंततः ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कराया गया। उक्त कार्य में विभाग द्वारा ठेकेदार पर न तो कोई कार्यवाही की न ही किसी प्रकार का अर्थदण्ड लगाया, बिना अर्थदण्ड और कार्यवाही के कार्य कराने की अनुमति देना और भुगतान के लिये कार्यपूर्ति आदेश जारी करना नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकरण में संबंधित की जवाबदेही तय करते हुये विभागीय कार्यवाही किया जाना और संबंधित ठेकेदार की जमानत धनराशि से अर्थदण्ड की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–01, दिनांक–22.10.2019)

मुख्य अभियन्ता

दशाश्वमेध वार्ड 61 मिसिर पोखरा गली में दत्तात्रेय आश्रम डी. 52/1 से डी. 52/4 आनन्द एक्सरे तक गली रबर मोल्डेड इंण्टरलाकिंग लगाने के कार्य की सम्परीक्षा में अनियमितता दृष्टगत हुई है जिसका विवरण निम्न है।

1. पहली बार ही निविदा में एकल निविदा मेसर्स बादी सिंह की निविदा को स्वीकार किया गया जबकि नियमानुसार यदि प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का प्रयास किया गया होता तो नगर निगम के हित में होता।

2. उक्त विषय में रबर मोल्डेड इंण्टरलाकिंग के कार्य की निविदा को आमंत्रित किया गया था जबकि पत्रावली पृष्ठ संख्या 31 से 35 तक लगे फोटो से स्पष्ट होता है कि चौका रिसेटिंग का कार्य कराया गया है। उक्त अनुबन्ध के विरुद्ध कार्य किया गया और विभाग से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया है जोकि नियम विरुद्ध है उक्त प्रकरण पर संबंधित की जवाबदेही तय की जानी अपेक्षित है।

3. उक्त निविदा में जारी कार्य आदेश में कार्य को 02 माह में पूर्ण कराने को कहा गया है जबकि ठेकेदार द्वारा 02 वर्ष में कार्य पूर्ण कराया गया है जिसपर मात्र रुपया 1000.00 का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड किस आधार पर इतना कम लगाया गया है अर्थदण्ड लगाने का मानक क्या है।

उपर्युक्त बिन्दुओ के माध्यम से आपको वित्तीय/विभागीय अनियमितता से अवगत करा दिया गया है। अतः आपके द्वारा विभागीय कार्यवाही किया जाना और परीक्षण को भी अवगत कराना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–02, दिनांक–22.10.2019)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 454 एवं 455 से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये नगर निगम जन्म–मृत्यु का पंजीयन का कार्य करवाता है जिसके लिए न्यूनतम शुल्क लेने की व्यवस्था है। जन्म तथा मृत्यु विभाग द्वारा शुल्क लेने के पश्चात नगर निगम कोष में प्रतिदिन जमा करवाया जाता है। इसी कम में दिनांक 15.10.2019 एवं दिनांक 16.10.2019 को जन्म तथा मृत्यु पंजीयन का शुल्क जमा करवाया गया परन्तु दिनांक 15.10.2019 को विभाग द्वारा फार्म–2 संख्या–7608 के रसीद संख्या–43 का रुपया 32.00 व दिनांक 16.10.2019 को विभाग द्वारा फार्म–2 संख्या–7608,7609,तथा 7610 के चालान का रुपया 835.00 नगर निगम कोष में नही जमा करवाया गया। अतः कुल रुपया 867.00 की वित्तीय अनियमितता जन्म–मृत्यु विभाग द्वारा हुई है जिसपर आपके द्वारा उचित निर्णय लेते हुये कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–03, दिनांक–22.10.2019)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित अभिलेखों की दैनिक जाँच में निम्नलिखित विसंगतियाँ पायी गयी :–

दो लाख तेरह हजार तीन सौ पचास) मात्र पर दिया गया। पत्रावली में दाई तरफ पृष्ठ संख्या 31 पर जारी कार्य आदेश दिनांक 24.06.2017 के आधार पर ठेकेदार को कार्य 01 माह में पूर्ण करना था परन्तु ठेकेदार ने कार्य लगभग 14 माह विलम्ब से दिनांक 28.09.2018 को समाप्त किया। पत्रावली के दाहिनी ओर पृष्ठ संख्या–32,33 तथा 34 पर तात्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिये ठेकेदार को बार–बार पत्र दिया। अंततः ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कराया गया। उक्त कार्य में विभाग द्वारा ठेकेदार पर न तो कोई कार्यवाही की न ही किसी प्रकार का अर्थदण्ड लगाया, बिना अर्थदण्ड और कार्यवाही के कार्य कराने की अनुमति देना और भुगतान के लिये कार्यपूर्ति आदेश जारी करना नियम विरुद्ध एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकरण में संबंधित की जवाबदेही तय करते हुये विभागीय कार्यवाही किया जाना और संबंधित ठेकेदार की जमानत धनराशि से अर्थदण्ड की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–01, दिनांक–22.10.2019)

मुख्य अभियन्ता

दशाश्वमेध वार्ड 61 मिसिर पोखरा गली में दत्तात्रेय आश्रम डी. 52/1 से डी. 52/4 आनन्द एक्सरे तक गली रबर मोल्डेड इंण्टरलाकिंग लगाने के कार्य की सम्परीक्षा में अनियमितता दृष्टगत हुई है जिसका विवरण निम्न है।

1. पहली बार ही निविदा में एकल निविदा मेसर्स बादी सिंह की निविदा को स्वीकार किया गया जबकि नियमानुसार यदि प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का प्रयास किया गया होता तो नगर निगम के हित में होता।

2. उक्त विषय में रबर मोल्डेड इंण्टरलाकिंग के कार्य की निविदा को आमंत्रित किया गया था जूबकि पत्रावली पृष्ठ संख्या 31 से 35 तक लगे फोटो से स्पष्ट होता है कि चौका रिसेटिंग का कार्य कराया गया है। उक्त अनुबन्ध के विरुद्ध कार्य किया गया और विभाग से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया है जोकि नियम विरुद्ध है उक्त प्रकरण पर संबंधित की जवाबदेही तय की जानी अपेक्षित है।

3. उक्त निविदा में जारी कार्य आदेश में कार्य को 02 माह में पूर्ण कराने को कहा गया है जबकि ठेकेदार द्वारा 02 वर्ष में कार्य पूर्ण कराया गया है जिसपर मात्र रुपया 1000.00 का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड किस आधार पर इतना कम लगाया गया है अर्थदण्ड लगाने का मानक क्या है।

उपर्युक्त बिन्दुओ के माध्यम से आपको वित्तीय/विभागीय अनियमितता से अवगत करा दिया गया है। अतः आपके द्वारा विभागीय कार्यवाही किया जाना और परीक्षण को भी अवगत कराना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–02, दिनांक–22.10.2019)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 454 एवं 455 से प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये नगर निगम जन्म–मृत्यु का पंजीयन का कार्य करवाता है जिसके लिए न्यूनतम शुल्क लेने की व्यवस्था है। जन्म तथा मृत्यु विभाग द्वारा शुल्क लेने के पश्चात नगर निगम कोष में प्रतिदिन जमा करवाया जाता है। इसी कम में दिनांक 15.10.2019 एवं दिनांक 16.10.2019 को जन्म तथा मृत्यु पंजीयन का शुल्क जमा करवाया गया परन्तु दिनांक 15.10.2019 को विभाग द्वारा फार्म–2 संख्या–7608 के रसीद संख्या–43 का रुपया 32.00 व दिनांक 16.10.2019 को विभाग द्वारा फार्म–2 संख्या–7608,7609,तथा 7610 के चालान का रुपया 835.00 नगर निगम कोष में नही जमा करवाया गया। अतः कुल रुपया 867.00 की वित्तीय अनियमितता जन्म–मृत्यु विभाग द्वारा हुई है जिसपर आपके द्वारा उचित निर्णय लेते हुये कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–03, दिनांक–22.10.2019)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित अभिलेखों की दैनिक जाँच में निम्नलिखित विसंगतियाँ पायी गयी :–

क्र.सं.	पुस्तक सं0	वास्तविक धनराशि	जमा की गयी धनराशी	कमी
1	7669 (पेज संख्या 47–55)	540.00	495.00	45.00
2.	7673 (पेज संख्या 48–52)	360.00	240.00	120.00
3.	7768, 7769	7148.00	7138.00	10.00
			कुल रु0	175.00

उपर्युक्त संबंधित अभिलेखों के माध्यम से नगर निगम कोष में रुपया 175.00 कम जमा किया गया है जो नगर निगम के वित्तीय संसाधनों की स्पष्टतः क्षति प्रदर्शित करता है एवं आपत्तिजनक हैं। उपर्युक्त धनराशि का नगर निगम कोष में जमा न किया जाना संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत लापरवाही एवं कदाचार का सूचक है।

अतः नगर निगम के हित में उपर्युक्त धनराशि को समायोजित कराते हुये संबंधित कर्मचारी को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न किये जाने हेतु सचेत किया जाना आवश्यक है जिससे नगर निगम को होने वाली आर्थिक क्षति को रोका जा सकें।

(साधारण आपत्ति संख्या–04, दिनांक–29.01.2020)

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2017 को सारनाथ वार्ड अन्तर्गत काली जी मंदिर दौलतपुर रोड पर भक्ति नगर कालोनी मोड़ पर नाले के पुलिया पर साइडवाल व काली जी मंदिर के पास भुमिगत जल निकासी के कार्य को तात्कालिकता के दृष्टिगत नगर निगम अधिनियम की धारा–117–6ख में प्रयुक्त प्राविधानों के अन्तर्गत ठेकेदार मेसर्स राय इण्टरप्राइजेज वाराणसी को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। संबंधित पत्रावली में निम्न आपत्तियाँ दृष्टिगत हुयी।

1. संबंधित कार्य नगर निगम अधिनियम की धारा 117–6ख के प्रावधानों से संबंधित है जिसके अन्तर्गत अत्यन्त आवश्यक जनहित के कार्य को त्वरित अनुमति प्रदान की जाती है। उपर्युक्त कार्य अवर अभियन्ता द्वारा मेसर्स राय इण्टप्राईजेज से कराये जाने की संस्तुति की गयी है जो नियमतः अनुचित है। वित्तीय नियमों के अनुसार वार्ता हेतु न्यूनतम तीन फर्मो का चयन किया जाना चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धी मूल्य की प्राप्ति हो सके। इस कार्य में ऐसा न करते हुये केवल एक फर्म को ही आगणन दर पर स्वीकृति प्रदान की गयी जो गंभीर वित्तीय अनियमितता का सूचक है।

2. संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा मेसर्स राय इण्टरप्राईजेज को दिनांक 17.06.2017 को कार्य आदेश प्रदान किया गया जिसमें एक माह के अन्दर कार्य पूर्ण करने को आदेशित किया गया था परन्तु अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदत्त कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र में स्पष्ट किया गया कि उपर्युक्त कार्य दिनांक 05.08.2018 को समाप्त किया गया था। इस प्रकार एक माह के स्थान पर लगभग 13 माह में कार्य पूर्ण किया गया जिसपर सामान्य अभियन्त्रण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का स्पस्टीकरण/अर्थदण्ड हेतु कार्यवाही नहीं की गयी। यदि उपर्युक्त कार्य जनहित में अत्यावश्यक प्रकृति का था तो क्या कारण है कि उपर्युक्त कार्य एक वर्ष पश्चात पूर्ण कराया गया। ऐसी परिस्थितियाँ संबंधित कर्मचारी के द्वारा नगर निगम को वित्तीय क्षति पहुँचाने का प्रयास एवं आपत्तिजनक है।

अतः उपर्युक्त अनियमितता किन परिस्थितियों में की गयी इसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है। जिससे नगर निगम के वित्तीय हितो पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें।

(साधारण आपत्ति संख्या–05, दिनांक–17.02.2020)

मुख्य अभियन्ता

सारनाथ वार्ड–36 पहड़िया, अग्रसेन नगर कालोनी में गाजीपुर–वाराणसी मुख्य मार्ग पहड़िया सारंग मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण करने हेतु मेसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन की लाटरी 03.01.2017 को प्राप्त हुयी जिसे नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 12.05.2017 को प्रदान की गयी किन्तु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, वाराणसी के पत्र संख्या–88/अधि.अभि./2018–19, दिनांक 23.06.2018 से स्पष्ट है कि उक्त तिथि तक मेसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन द्वारा अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी। उक्त अंतिम नोटिस में एक सप्ताह के अंदर अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में फर्म के बयाने की धनराशि जब्त करने एवं कार्य किसी अन्य फर्म को स्थानांतरित करने की चेतावनी दी गयी थी किन्तु फर्म द्वारा अनुबंध नहीं किया गया। तत्पश्चात कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, वाराणसी के पत्र संख्या–234/अधि.अभि.(नोटिस)/2018–19, दिनांक 06.09.2018 को पुनः नोटिस भेजते हुये चेतावनी दी गयी कि एक सप्ताह में अनुबंध एवं 01 माह के अन्दर उक्त कार्य पूर्ण किया जाय अन्यथा बयाने की धनराशि जब्त करने की कार्यवाही हेतु पत्रावली उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

मेसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन द्वारा नगर निगम से कार्य हेतु अनुबंध दिनांक 07.02.2019 को किया गया एवं कार्य दिनांक10.02.2019 को प्रारम्भ कर दिनांक 11.03.2019 को पूर्ण किया गया। नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 12.05.2017 को कार्य की अनुमति प्रदान करने एवं अधिशासी अभियन्ता के अनेक पत्रों में चेतावनी के पश्चात भी मेसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन द्वारा अनुबंध करने एवं कार्य पूर्ण करने में अत्याधिक विलम्ब किया गया। उक्त अनियमितता के पश्चात भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा मेसर्स शंकर कन्स्ट्रक्शन पर कोई वित्तीय या प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गयी। उपर्युक्त प्रकिया में अनियमितता एवं नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुँचाने की सम्भावना एवं जनहित के कार्यो में जानबुझकर विलम्ब करने की अनुशासनहीनता एवं उदासीनता परिलक्षित होती है।

अतः उपर्युक्त के कम में कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–06, दिनांक–17.02.2020)

<u>अधिशासी अभियन्ता(आदमपुर)</u>

वार्ड नम्बर–75 अन्तर्गत जे.12/15, जे12/16–बी–10–बी कुँए की जगत पर टीनशेड का निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली के परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ प्राप्त हुयी।

1. इस कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को मेसर्स गौतम एण्ड कम्पनी को प्रदान किया गया एवं मेसर्स गौतम एण्ड कम्पनी द्वारा इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु नगर निगम से दिनांक 05.09.2016 को अनुबंध किया गया। अधिशासी अभियन्ता(सिविल), नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक 06.09.2016 को कार्यादेश की अनुमति प्रदान करते हुये 01 माह के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की अनिवार्यता स्पष्ट की गयी किन्तु कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि मेसर्स गौतम एण्ड कम्पनी द्वारा कार्य दिनांक 23.03.2018 को प्रारम्भ एवं दिनांक 29.03.2018 को समाप्त किया गया।
2. पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त विषयक कार्य के संदर्भ में दिनांक 26.05.2016 को आमन्त्रित निविदा के कम में मात्र एक निविदादाता ही प्रस्तुत हुआ जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कर दी गयी। एकल निविदा को ही स्वीकृति प्रदान किया जाना वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकरण में उचित होता कि पुनः निविदा आमंत्रित कर संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता। बगैर किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपर्युक्त प्रकिया पूर्ण न करते हुये किन परिस्थितियों में संबंधित फर्म को कार्य की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी, इसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
3. अत्यधिक विलम्ब से कार्य किये जाने के पश्चात भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा मेसर्स गौतम एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/वित्तीय कार्यवाही नहीं की गयी।
4. उपरोक्त परिस्थितियों में नगर निगम को वित्तीय क्षति पहुँचाने की पूर्ण संभावना एवं जनहित के कार्यो में विलम्ब करने की उदासीनता परिलक्षित होती है।

अतः उपर्युक्त के क्रम में कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(साधारण आपत्ति संख्या–07, दिनांक–17.02.2020)

नगर निगम प्रशासन को सन्दर्भित पत्र

1. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–58(3) के अनुसार प्रतिवर्ष मार्च के अन्तिम कार्य दिवस का वास्तविक अन्तिम अवशेष आगामी दिन के सायंकाल 5:00 बजें के पूर्व निश्चित रुप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित किया जाएगा । अद्यतन तिथि तक कोई सूचना सम्परीक्षण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

कृपया सम्परीक्षण विभाग को उपरोक्त सूचना समस्त सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों, चालानों एवं सामान्य रोकडबही के साथ अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(पत्रांक 01डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–02.04.2019)

2. वित्त अधिकारी
जलकल विभाग
नगर निगम, वारणसी।

कृपया वित्तीय वर्ष 2018–19 समाप्त हो चुका है । उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली–1960 के नियम–58(3) के अनुसार :–

" प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम कार्यदिवस का वास्तविक अंतिम अवशेष आगामी दिन के सांयकाल 5 बजे के पूर्व निश्चित रूप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित किया जायेगा।" अद्यतन तिथि तक कोई सूचना/अभिलेख सम्परीक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

कृपया सम्परीक्षा विभाग को उपरोक्त सूचना समस्त सम्बन्धित व्यय प्रमाणकों, चालानों एवं सामान्य रोकडबही के साथ अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(पत्रांक 02डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–02.04.2019)

3. नगर आयुक्त महोदय

नगर निगम के विभिन्न वार्डो में नियमित सफाई कर्मचारियों के वेतन देयको की जाँच में अभी भी पाया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी पिछले कई वर्षो से बिना किसी सूचना के अपने सेवा से पलायित चल रहे है। ऐसे समस्त कार्मिको के संबंध में विशेष आपत्ति संख्या–05डी/16/मु.न.ले.प., दिनांक 04.01.2019 द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाये जाने के बावजूद अभी तक संबंधित सफाई कर्मचारी के सेवा समाप्त किये जाने अथवा सेवा में लिये जाने हेतु (जिस प्रकरण में जैसी भी स्थिति हों) अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

कृपया पूर्व में जारी विशेष आपत्ति की फोटोप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विभिन्न वार्डो में पलायित चल रहे सफाई कर्मचारियों के संबंध में प्रशासनिक निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ताकि पलायित अवधि में सेवानिवृत्त/मृत्यु हो जाने पर ऐसे कार्मिक निगम पर किसी प्रकार से भारित न हो सकें।

(पत्रांक 04डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–10.04.2019)

भुगतान 6 माह के भीतर नही किये गये है ऐसे दावों से संबंधित समस्त पत्रावलियों को परीक्षण हेतु [illegible] जाना अपेक्षित है।

(पत्रांक 05डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–20.04.2019)

5. नगर स्वास्थ्य अधिकारी

स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा श्रमिको की आपूर्ति लेकर कार्य कराया जा रहा है। सेवा प्रदाता द्वारा जिन श्रमिको की आपूर्ति की जा रही है। उनका ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की कटौती नियमानुसार प्रतिमाह की जा रही है अथवा नही ? अभिलेखों के अभाव में कटौती का सत्यापन/आडिट नहीं हो पा रहा है। आपूर्ति किये जा रहे श्रमिको के वास्तविकता की जाँच हेतु संबंधित पत्रावलियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 तथा नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–144(1) के अन्तर्गत अनियमित तथा आपत्तिजनक है।

सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे श्रमिको के भुगतान से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर नियमित रुप से आडिट कराये जाने हेतु किसी कार्मिक को नामित करने का कष्ट करे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–152–क–1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि में आयेगा।

(पत्रांक 38डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–16.07.2019)

6. प्रभारी अधिकारी(उद्यान)

उद्यान विभाग में विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा श्रमिको की आपूर्ति लेकर कार्य कराया जा रहा है। सेवा प्रदाता द्वारा जिन श्रमिको की आपूर्ति की जा रही है। उनका ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की कटौती नियमानुसार प्रतिमाह की जा रही है अथवा नही ? अभिलेखों के अभाव में कटौती का सत्यापन/आडिट नहीं हो पा रहा है। आपूर्ति किये जा रहे श्रमिको के वास्तविकता की जाँच हेतु संबंधित पत्रावलियों को उद्यान विभाग द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 तथा नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–144(1) के अन्तर्गत अनियमित तथा आपत्तिजनक है।

सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे श्रमिको के भुगतान से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर नियमित रुप से आडिट कराये जाने हेतु किसी कार्मिक को नामित करने का कष्ट करे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–152–क–1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि में आयेगा।

(पत्रांक 39डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–17.07.2019)

7. प्रभारी अधिकारी(आलोक)

आलोक विभाग में विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा श्रमिको की आपूर्ति लेकर कार्य कराया जा रहा है। सेवा प्रदाता द्वारा जिन श्रमिको की आपूर्ति की जा रही है। उनका ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. की कटौती नियमानुसार प्रतिमाह की जा रही है अथवा नही ? अभिलेखों के अभाव में कटौती का सत्यापन/आडिट नहीं हो पा रहा है।

आपूर्ति किये जा रहे श्रमिकों के वास्तविकता की जांच हेतु संबंधित पत्रावलियों को विभाग द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 तथा नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–144(1) के अन्तर्गत अनियमित तथा आपत्तिजनक है।

सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे श्रमिको के भुगतान से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर नियमित रुप से आडिट कराये जाने हेतु किसी कार्मिक को नामित करने का कष्ट करे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–152–क–1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि में आयेगा।

(पत्रांक 46डी/16/मु.न.ले.प./2018–19, दिनांक–24.07.2019)

8. <u>लेखाधिकारी</u>

नगर निगम वेतन निधि (रोकड़ बही) दिनांक 01.08.2018 से अद्यतन तिथि तक की सम्परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.05.2019 को नगर निगम वेतन निधि क्रमांक संख्या 318 से 369 तक कुल रुपया 47,96,623.00 (रु. सैंतालीस लाख छान्बे हजार छः सौ तेईस) मात्र का भुगतान निर्माण कार्यो के लिये ठेकेदारों को भुगतान किया गया है इसी क्रम में दिनांक 29.05.2019 को नगर निगम वेतन निधि से क्रमांक संख्या 438 से 453 तक रुपया 11,99,824.00 (रु. ग्यारह लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौबीस) मात्र का भुगतान निर्माण कार्यो के लिये ठेकेदारों को किया गया है। नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 149(3) के तहत बजट के एक मद से दूसरे मद में अथवा एक ही मद के भीतर धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उसमें कमी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जायेगी तथा लेखा नियमावली के नियम–85 के तहत कार्यकारिणी समिति वित्तीय वर्ष के दौरान में, किसी भी समय निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये (क) किसी बजट अनुदान की धनराशि में कमी कर सकती है (ख) बजट के भीतर (क) शीर्षक से दूसरे को किसी धनराशि के संक्रमण की स्वीकृति दे सकती है :–

1. विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्राप्त ऋणों तथा अनुदानों की व्यवस्था के अन्य उद्देश्यों के लिये नहीं लगाया जायेगा।
2. उक्त कमियों तथा संक्रमणों की सूचना नगर निगम को उसकी आगामी बैठक में दी जायेगी तथा कार्यकारिणी समिति इस संबंध में नगर निगम की इच्छानुसार कार्य करेगी।

अतः उक्त कुल धनराशि रुपया 59,96,447.00 (रु. उनसठ लाख छान्बे हजार चार सौ सैतालीस) मात्र का भुगतान नगर निगम वेतन निधि से ठेकेदारों को किया गया है। एक हेड से दूसरे हेड में धनराशि स्थानान्तरित करके ठेकेदारों के देयकों का भुगतान किये जाने का औचित्य स्पष्ट कराते हुये एक हेड से दूसरे हेड में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लिया गया था ? ठेकेदारों को वेतन निधि से भुगतान संबंधी कार्यकारिणी की स्वीकृत पत्रावली उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(पत्रांक 48डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–29.07.2019)

9. <u>मुख्य अभियन्ता</u>

नगर निगम के विभिन्न वार्डो में कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा रोड कटिंग पत्रावलियों पर आख्या दिये जाने के फलस्वरुप पदनाम की मुहर अंकित नहीं किया जा रहा है। पदनाम की मुहर अंकित न किये जाने के कारण रोड कटिंग की गणना तथा अन्य पत्रावलियों में अनियमितता बरते जाने के कारण संरचार्ज आदि अन्य विभागीय कार्यो हेतु नाम प्रस्तावित किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। पदनाम की मुहर न लगाया जाना शासकीय तथा नगर आयुक्त महोदय के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना है। निगम के विभिन्न वार्डो में कार्यरत अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता का नाम वार्डवाईज उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। कृपया पदनाम की मुहर पत्रावलियों पर लगाये जाने तथा उपरोक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि रोड कटिंग की गणना तथा अन्य अनियमितताओं के फलस्वरुप सरचार्ज की कार्यवाही

हेतु प्रकरण नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया जा सकें।

(पत्रांक 50डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–31.07.2019)

10. प्रबन्धक
जें.पी. मेहता इण्टर कालेज
नगर निगम, वाराणसी।

नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालय में समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। संबंधित एजेन्सी द्वारा परीक्षा आयोजित होने के फलस्वरुप प्रत्येक परीक्षार्थी की दर से विद्यालय को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिसमें से कुछ धनराशि निगम कोष में भी जमा किया जाता है। पिछले कई वर्षो से जमा धनराशि तथा उससे संबंधित अभिलेखों का परीक्षण न कराये जाने के कारण एजेन्सी द्वारा प्राप्त धनराशि के विरुद्ध निगम कोष में जमा धनराशि के वास्तविकता का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अभिलेखों का नियमित रुप से उपलब्ध कराकर परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75(क) का स्पष्ट उल्लंघन है। गत वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कौन–कौन परीक्षा विद्यालय द्वारा सम्पन्न कराया गया ? तथा उससे प्राप्त धनराशि जमा किये जाने से संबंधित अभिलेखो का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है ताकि लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अन्तर्गत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कराकर प्रकरण शासन को भी तदनुसार सूचित किया जा सकें।

अतः गत वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में परीक्षा आयोजित होने के फलस्वरुप जमा धनराशि से संबंधित समस्त अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधानाचार्य, जे.पी. मेहता इण्टर कालेज को निर्देशित करने का कष्ट करें क्योकि लेखा नियमावली के नियम–75(2),(3) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर सम्परीक्षा प्रमाण–पत्र शासन में भी भेजा जाना है।

(पत्रांक 66डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–14.10.2019)

11. लेखाधिकारी

दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के देयक से संबंधित पत्रावलियाँ लेखा नियमावली के नियम–38(2) के अन्तर्गत प्री–आडिट के लिये उपलब्ध कराई गई है। उक्त पत्रावलियाँ गत वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, व 2018–19 से संबंधित है। उक्त के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है :–

1. उक्त पत्रावलियों का भुगतान विलम्ब से किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
2. दैनिक जागरण के विज्ञापन बिलों का पूर्व में कई बार भुगतान किया गया है। उक्त पत्रावलियों का भुगतान अबतक क्यों नहीं किया गया ? स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
3. दैनिक जागरण की पूर्व में भुगतान की जाँच करते हुये दोहरे भुगतान की सम्भावना को समाप्त किये जाने हेतु प्रमाण–पत्र अपेक्षित है।
4. कुछ पत्रावलियों पर नगर आयुक्त महोदय से इतर अधिकारियों से स्वीकृति का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। नगर आयुक्त महोदय से स्वीकृति प्राप्त न किये जाने का कारण स्पष्ट कराते हुये नगर आयुक्त महोदय द्वारा यदि कोई प्रभार स्वीकृत अधिकारी को दिया गया हो तो उससे संबंधित प्रपत्र संलग्न कराया जाना अपेक्षित है।

कृपया उपर्युक्त बिन्दुओ पर शीघ्र स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है जिससे पत्रावलियों का लेखा नियमावली के नियम–38(2) के तहत अविलम्ब सम्परीक्षा कराया जा सके।

(पत्रांक 70डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–06.11.2019)

12. प्रभारी अधिकारी(परिवहन)

नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या–1032/कैम्प–न0आ0/2019–20, दिनांक 16.12.2019 के क्रम में परिवहन कार्यशाला की व्यापक जाँच की जा रही है। नगर निगम पम्प पर कार्यरतश्री दिनेश पटेल से मौखिक रुप से संबंधित वाहनों की लाग–बुक की माँग किया गया था किन्तु अद्यतन तिथि तक वाहनों की लाग–बुक उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिसके कारण जाँच कार्य प्रभावित हो रहा है।

ccount
on 20th

कृपया परिवहन कार्यशाला की जाँच कार्यवाही के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में मरम्मत किये गये समस्त वाहनों की लाग–बुकें अविलम्ब उपलब्ध कराने के लिये संबंधित को आदेशित करने का कष्ट करें।

(पत्रांक 87डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–27.12.2019)

13. प्रभारी अधिकारी(परिवहन)

परिवहन विभाग में गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपूर्ति लिये गये सामानों तथा टेण्डर से संबंधित पत्रावलियों की माँग जाँच हेतु कई बार किये जाने के बावजूद अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के कारण जाँच कार्यवाही बाधित हो रही है।

कृपया 2018–19 में सामानों की आपूर्ति सें संबंधित समस्त पत्रावलियाँ तथा स्टाक बुक अविलम्ब परीक्षण में उपलब्ध कराकर आडिट कार्य पूर्ण कराने हेतु परिवहन विभाग के किसी कर्मचारी को नामित करने का कष्ट करें ताकि जाँच आख्या अविलम्ब नगर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें। प्रस्तुत प्रकरण आवश्यक एवं गंभीर प्रकृति की है इसलिये शीघ्रता अपेक्षित है।

(पत्रांक 90डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–07.01.2020)

14. प्रभारी अधिकारी(परिवहन)

परिवहन विभाग में गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्टोर में सामानों के आपूर्ति तथा वाहनों के मरम्मत से संबंधित पत्रावलियों की जाँच में पाया जा रहा है कि संबंधित पत्रावलियों में श्री ललित मोहन श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता तथा श्री सन्तोष कुमार सिंह, जूनियर फीटर द्वारा विभागीय कार्यवाही की प्रथम/द्वितीय सोपान की कार्यवाही की गयी है।

कृपया यह अवगत कराया जाना अपेक्षित है कि श्री श्रीवास्तव तथा श्री सिंह के पास किस प्रकार की डिग्री/डिप्लोमा है ? वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परिवहन विभाग की जाँच आख्या में इस बिन्दु को भी तदनुसार शामिल किया जा सकें।

(पत्रांक 91डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–08.01.2020)

15. महाप्रबन्धक,
जलकल विभाग,
नगर निगम,वाराणसी।

श्री शरद कुमार जोशी, सेवानिवृत्त, सहायक कर अधीक्षक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक 11.09.2019 को जलकल विभाग के चयन समिति के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चयन समिति द्वारा गलत तरीके से प्रोन्नति के प्रकरण में तीन सदस्यीय अधिकारियों की जाँच कमेटी तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के पत्र संख्या– 279/न0आ0/2019–20, दिनांक 13 सितम्बर,2019 द्वारा गठित की गयी है। पदोन्नति संबंधी पत्रावलियों की माँग इस कार्यालय के पत्र संख्या– 62डी/16/मु.न.लेप./2019–20, दिनांक 17.

09.2019 तथा पत्र संख्या– 80डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 19.11.2019 द्वारा लिखित तथा मौखिक रुप से महाप्रबन्धक, जलकल विभाग से किये जाने के बावजूद अभी तक उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्री जोशी के पेंशन/उपादान प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2. ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि लेखा विभाग के विभिन्न पदों लेखा लिपिक, विभागीय लेखाकार तथा लेखाकार के पदो का संविलियन हो जाने के बाद इन पदों पर नियुक्ति तथा पदोन्नति शासन द्वारा की जानी है। इसके बावजूद जलकल प्रशासन द्वारा इन पदों तथा अन्य पदों पर समय–समय पर पदोन्नतियाँ की जा रही है। कृपया जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी में पिछले तीन वर्षो में विभिन्न पदो पर पदोन्नत/समायोजन किये जाने से संबंधित समस्त पत्रावलियाँ विशेष पत्र वाहक द्वारा अविलम्ब परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पत्रांक 93डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–10.01.2020)

16. मुख्य अभियन्ता

सामान्य अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत स्टोर में चालू वित्तीय वर्ष में आपूर्ति लिये गये सामानों का स्टाक बुक तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में मात्र कुछ ही माह शेष बचे है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है। आपूर्ति से सम्बन्धित स्टाक बुक एव क्रय से संबंधित अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराये जाने के कारण क्रय किये गये सामानों तथा उसके उपभोग के वास्तविकता का सत्यापन अभिलेखों से नहीं किया जा सका। अनियमितता के प्रकाश में आते–आते काफी विलम्ब हो जाने की दशा में निगम को बहुत अधिक आर्थिक क्षति हो जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया किया जा सकता है।
अतः ऐसी स्थिति में सामान्य अभियन्त्रण विभाग स्टोर में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्रय किये गये सामानों से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर परीक्षण कराने हेतु संबंधित स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होगा।

(पत्रांक 94डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–16.01.2020)

17. प्रभारी अधिकारी(स्टोर स्वास्थ्य प्रथम/द्वितीय)

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्टोर प्रथम व द्वितीय में चालू वित्तीय वर्ष में आपूर्ति लिये गये सामानों का स्टाक बुक तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में मात्र कुछ ही माह शेष बचे है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है। आपूर्ति से सम्बन्धित स्टाक बुक एव क्रय से संबंधित अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराये जाने के कारण क्रय किये गये सामानों तथा उसके उपभोग के वास्तविकता का सत्यापन अभिलेखों से नहीं किया जा सका। अनियमितता के प्रकाश में आते–आते काफी विलम्ब हो जाने की दशा में निगम को बहुत अधिक आर्थिक क्षति हो जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया किया जा सकता है।

अतः ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग स्टोर प्रथम व द्वितीय में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्रय किये गये सामानों से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराकर परीक्षण कराने हेतु संबंधित स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होगा।

(पत्रांक 95डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–16.01.2020)

18. प्रभारी अधिकारी(पशु चिकित्सालय)

नगर निगम, वाराणसी द्वारा संचालित समस्त पशु आश्रय स्थलों (गौशाला) से संबंधित गत वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित अभिलेखों/पत्रावलियों को परीक्षण हेतु अभी तक प्रस्तुत नहीं कराया गया। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में भी मात्र कुछ माह ही शेष बचें है। पशु आश्रय स्थलों पर नगर निगम द्वारा कार्मिकों की तैनाती/व्यवस्था की गयी है। नगर निगम द्वारा कहा–कहा पशु आश्रय स्थल संचालित होते है ? उसमें निगम द्वारा किस प्रकार के कार्मिकों की तैनाती की गयी है ? पशु आश्रय स्थल का नाम/पता, कार्मिकों की तैनाती से संबंधित पत्रावलियाँ/अभिलेख, पशुओं के खुराकी पर प्रतिमाह किये जा रहे भुगतान से संबंधित पत्रावलियाँ तथा पशु आश्रय स्थल के निर्माण पर अब तक व्यय की गयी धनराशि से संबंधित पत्रावलियों को परीक्षण में उपलब्ध कराकर परीक्षण कराया जाना अपेक्षित है। पशु चिकित्सालय से संबंधित सुसंगत समस्त अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. पशु चिकित्सालय में वाहनों में डीजल निर्गत किये जाने से संबंधित अभिलेखों तथा संबंधित वाहनों के लागबुक का परीक्षण न कराये जाने के कारण वाहन वाईज निर्गत डीजल के उपयोगिता का सत्यापन अभिलेखों से पिछले कई वर्षो से नहीं कराया जा रहा है। परीक्षण न कराये जाने की दशा में निर्गत डीजल के उपयोगिता का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3. पशु चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग, संविदा तथा नियमित कर्मचारियों के तैनाती के विवरण की माँग मौखिक रुप से कई बार किये जाने के बावजूद अभी तक उक्त प्रकार के कर्मचारियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य किये जाने के फलस्वरुप प्रतिमाह वेतन भुगतान के वास्तविकता का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। परीक्षण हेतु अभिलेखों को उपलब्ध न कराये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः किसी न किसी स्तर पर अनियमितता होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–152क–1के अन्तर्गत सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होगा जिसके लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सीधे उत्तरदायी होगें।

(पत्रांक 96डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–17.01.2020)

19.प्रभारी अधिकारी(नाजिरात)

नाजिरात विभाग में आपूर्ति लिये गये सामानों का स्टाक बुक, विभिन्न विभागों को निर्गत किये गये सामानों से संबंधित अभिलेख तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में मात्र कुछ ही माह शेष बचे है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है। सामानों के आपूर्ति से सम्बन्धित स्टाक बुक विभिन्न विभागों को निर्गत किये गये सामानों से संबंधित अभिलेख तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का नियमित रुप से परीक्षण न कराये जाने के कारण क्रय किये गये सामानों तथा उसके उपभोग के वास्तविकता का सत्यापन अभिलेखों से नहीं किया जा सका। अभिलेखों का चालू वित्तीय वर्ष में ही परीक्षण हो जाने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगर निगम लेखा नियमावली की धारा–77(1) के अन्तर्गत वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का नियमों में प्राविधान किया गया है। समय से वार्षिक प्रतिवेदन शासन में प्रस्तुत न किये जाने की दशा में वार्षिक प्रतिवेदन की माँग भी शासन द्वारा की जाती है।

अतः ऐसी स्थिति में नाजिरात विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्रय किये गये सामानों से संबंधित समस्त अभिलेखों को उपलब्ध कराकर परीक्षण कराने हेतु नाजिर को निर्देशित करने का कष्ट करें। नियमों के विपरीत आपूर्ति लिये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत भविष्य में प्रस्तुत

प्रकरण सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(पत्रांक 98डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–22.01.2020)

20. प्रभारी अधिकारी(आलोंक)

आलोक विभाग में आपूर्ति लिये गये सामानों का स्टाक बुक, विभिन्न विभागों को निर्गत किये गये सामानों से संबंधित अभिलेख तथा कय से संबंधित पत्रावलियों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में मात्र कुछ ही माह शेष बचे है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है। सामानों के आपूर्ति से सम्बन्धित स्टाक बुक विभिन्न विभागों को निर्गत किये गये सामानों से संबंधित अभिलेख तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का नियमित रुप से परीक्षण न कराये जाने के कारण क्रय किये गये सामानों तथा उसके उपभोग के वास्तविकता का सत्यापन अभिलेखों से नहीं किया जा सका। अभिलेखों का चालू वित्तीय वर्ष में ही परीक्षण हो जाने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगर निगम लेखा नियमावली की धारा–77(1) के अन्तर्गत वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का नियमों में प्राविधान किया गया है। समय से वार्षिक प्रतिवेदन शासन में प्रस्तुत न किये जाने की दशा में वार्षिक प्रतिवेदन की माँग भी शासन द्वारा की जाती है।

अतः ऐसी स्थिति में आलोक विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्रय किये गये सामानों से संबंधित समस्त अभिलेखों को उपलब्ध कराकर परीक्षण कराने हेतु संबंधित स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें। नियमों के विपरीत आपूर्ति लिये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत भविष्य में प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(पत्रांक 99डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–22.01.2020)

21महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम,वाराणसी।

जलकल विभाग की पेंशन तथा संशोधित पेंशन पत्रावलियों की जाँच में प्रायः यह पाया जा रहा है कि वेतन निर्धारण की प्रवृष्टियाँ अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण किये जाने के कारण पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किये जाने में अनावश्यक रुप से विलम्ब होता है। प्रत्येक प्रवृष्टियों को पूर्ण कराकर डाक से चढ़वाकर पेंशन प्रकरणों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाय ताकि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण अविलम्ब किया जा सकें।

2. जलकल विभाग की पेंशन पत्रावलियों की जाँच में यह भी पाया जा रहा है कि कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु पूर्व में 58 वर्ष थी जिसे बाद में 60 वर्ष स्वीकार किया गया है। 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर दिये गये सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर दिये जाने के फलस्वरुप वेतन निर्धारण तथा अधिक भुगतान के समायोजन की प्रवृष्टि सेवापुस्तिका में किया जाना अपेक्षित है।

कृपयाा उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु वित्त अधिकारी तथा समस्त जोनल अधिशासी अभियन्ता को आप द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है ताकि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण अविलम्ब कराया जा सकें।

(पत्रांक 103डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–04.02.2020)

22. मुख्य अभियन्ता

प्रकरण सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(पत्रांक 98डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–22.01.2020)

20. प्रभारी अधिकारी(आलोंक)

आलोक विभाग में आपूर्ति लिये गये सामानों का स्टाक बुक, विभिन्न विभागों को निर्गत किये गये सामानों से संबंधित अभिलेख तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का परीक्षण अभी तक नहीं कराया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त होने में मात्र कुछ ही माह शेष बचे है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन है। सामानों के आपूर्ति से सम्बन्धित स्टाक बुक विभिन्न विभागों को निर्गत किये गये सामानों से संबंधित अभिलेख तथा क्रय से संबंधित पत्रावलियों का नियमित रुप से परीक्षण न कराये जाने के कारण क्रय किये गये सामानों तथा उसके उपभोग के वास्तविकता का सत्यापन अभिलेखों से नहीं किया जा सका। अभिलेखों का चालू वित्तीय वर्ष में ही परीक्षण हो जाने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगर निगम लेखा नियमावली की धारा–77(1) के अन्तर्गत वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का नियमों में प्राविधान किया गया है। समय से वार्षिक प्रतिवेदन शासन में प्रस्तुत न किये जाने की दशा में वार्षिक प्रतिवेदन की माँग भी शासन द्वारा की जाती है।

अतः ऐसी स्थिति में आलोक विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में क्रय किये गये सामानों से संबंधित समस्त अभिलेखों को उपलब्ध कराकर परीक्षण कराने हेतु संबंधित स्टोर कीपर को निर्देशित करने का कष्ट करें। नियमों के विपरीत आपूर्ति लिये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 152–क–1 के अन्तर्गत भविष्य में प्रस्तुत प्रकरण सरचार्ज की परिधि से आच्छादित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में लिये गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही से परीक्षण को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है ताकि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

(पत्रांक 99डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–22.01.2020)

21महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम,वाराणसी।

जलकल विभाग की पेंशन तथा संशोधित पेंशन पत्रावलियों की जाँच में प्रायः यह पाया जा रहा है कि वेतन निर्धारण की प्रवृष्टियाँ अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण किये जाने के कारण पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किये जाने में अनावश्यक रुप से विलम्ब होता है। प्रत्येक प्रवृष्टियों को पूर्ण कराकर डाक से चढ़वाकर पेंशन प्रकरणों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाय ताकि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण अविलम्ब किया जा सकें।

2. जलकल विभाग की पेंशन पत्रावलियों की जाँच में यह भी पाया जा रहा है कि कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु पूर्व में 58 वर्ष थी जिसे बाद में 60 वर्ष स्वीकार किया गया है। 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर दिये गये सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर दिये जाने के फलस्वरुप वेतन निर्धारण तथा अधिक भुगतान के समायोजन की प्रवृष्टि सेवापुस्तिका में किया जाना अपेक्षित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु वित्त अधिकारी तथा समस्त जोनल अधिशासी अभियन्ता को आप द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है ताकि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण अविलम्ब कराया जा सकें।

(पत्रांक 103डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–04.02.2020)

22. मुख्य अभियन्ता

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जन निर्माण की पत्रावलियों को, बिना परीक्षण कराये ही संबंधित अवर अभियन्ता इत्यादि द्वारा अनुबन्ध में लगे जमानत की राशि वापस करने हेतु अनुशंसा कर दी जाती है जो नियमानुकूल नहीं है। यहाँ यह भी ज्ञात हुआ है कि लेखा परीक्षा कार्यालय में संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली उपलब्ध न कराते हुये अन्य के द्वारा प्रेषित कर दी जाती है जिसके संदर्भ में पूर्व के वर्षो में भी पत्र प्रेषित किये जा चुके है।

अतः उपर्युक्त पत्रावलियों को अद्यतन तिथि के उपरान्त सम्परीक्षा हो जाने पर ही अनुशंसित करते हुये जमानत राशि को अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित किया जाना समीचीन होगा। तदुपरान्त संबंधित धरोहर राशि अवमुक्त किया जाना सम्भव होगा।

(पत्रांक 106डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–06.02.2020)

23. मुख्य अभियन्ता

कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जन निर्माण की पत्रावलियों का परीक्षण हो जाने के उपरान्त सामान्य अभियन्त्रण विभाग को भेजे जाने पर संबंधित लिपिक द्वारा हस्तगत न करते हुये बाद में आने की बात कही जाती है। इस प्रकार बार–बार पत्रावलियों को भेजे जाने के उपरान्त भी 04–05 दिनों तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा उन पत्रावलियों को प्राप्त नहीं किया जाता है। जिससे ठेकेदारों द्वारा अनावश्यक रुप से दबाव बनाते हुये उच्चाधिकारियों से शिकायते भी की जाती है। किसी प्रकार की अप्रिय परिस्थिति न आने देने हेतु आप से अपेक्षा है कि उक्त पत्रावलियों को हस्तगत किये जाने हेतु किसी कर्मचारी/लिपिक को नामित करने का कष्ट करें।

(पत्रांक 107डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–07.02.2020)

24. प्रभारी अधिकारी(आलोक)

आलोक विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये गये सामानों से संबंधित पत्रावलियों तथा वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 का स्टाक बुक परीक्षण हेतु अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका जबकि चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र कुछ माह ही शेष बचे है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण न कराया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों को प्रतिवर्ष धनराशि आवंटित की जाती है। आवंटित धनराशि की रोकी गयी कुछ प्रतिशत धनराशि तभी अवमुक्त की जाती है जब पिछले वित्तीय वर्ष का आडिट प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। नगर निगम के सभी विभागों का बिना परीक्षण कार्य पूर्ण हुये कभी–कभी आडिट प्रमाण–पत्र निगम हित में जारी करना पड़ता है क्योकि आडिट प्रमाण–पत्र न जारी होने की दशा में डिफाल्टर निकायों का स्थगित धनराशि लैप्स हो जाता है। अभिलेखों का नियमित रुप से परीक्षण कराये जाने के प्रति विभागाध्यक्षों द्वारा उदासीनता बरते जाने के कारण सभी विभागों द्वारा परीक्षण कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है। संबंधित वर्षो का आडिट पूर्ण न होने की दशा में आडिट प्रमाण–पत्र के अभाव में यदि स्थगित धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी जिम्मेदार माने जायेगें तथा इस आशय की जानकारी नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अन्तर्गत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से शासन को भी सूचित किया जाना नियमानुसार होगा।

2. निगम मुख्यालय में सोलर प्लान्ट स्थापित है। सोलर प्लान्ट से पर्याप्त बिजली तथा बिजली विभाग से पर्याप्त समय तक बिजली उपलब्ध होने पर भी निगम में स्थापित जनरेटर हेतु डीजल निर्गत किये जाते है। जनरेटर में उपलब्ध कराये जाने वाले डीजल से संबंधित अभिलेखों तथा सोलर प्लान्ट स्थापित किये जाने से संबंधित पत्रावलियों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिये विभागीय कर्मचारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रस्तुत प्रकरण गंभीर एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण शीघ्रता अपेक्षित है।

25. अपर नगर आयुक्त

कृपया स्वकीय पत्र संख्या–419/अ.न.आ./2019–20, दिनांक 17.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परिवहन विभाग में गाड़ियों के मरम्मत तथा सामानों की आपूर्ति की अनियमितताओं के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–75(1) के अनुसार यह व्यवस्था है कि समस्त भुगतान जैसे ही किये जाय लेखा परीक्षा की जायेगी। लेखा नियमावली के नियम–76 में प्राविधान है कि लेखा परीक्षको द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमिततायें विशेष आपत्ति/साधारण आपत्ति विवरण पत्र में उल्लिखित की जायेगी। लेखा परीक्षक द्वारा पायी गयी गंभीर अनियमितताओं को व्यक्तिगत रुप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक के संज्ञान में लायी जायेगी जो उक्त मामले को उपयुक्त कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त महोदय को अभिदिष्ट करेगें। परिवहन विभाग के भुगतान से संबंधित प्रविष्टियों का कैशबुक में अंकित धनराशि का मिलान भुगतान प्रमाणक से किये जाने पर संबंधित पत्रावलियों की सम्यक जाँच हेतु समय–समय पर की गयी कार्यवाही से संबंधित प्रपत्र सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2. नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–144(1) के अनुसार यह व्यवस्था है कि लेखों की जाँच एवं उनसे सम्बद्ध समस्त अभिलेख और पत्र व्यवहार मुख्य नगर लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा विभाग/संबंधित विभागों से प्राप्त होगें। उल्लेखनीय है कि बार–बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा पत्रावलियाँ/अभिलेख परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं कराये जाते जो लेखा नियमावली के नियम–75 एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–142 एवं 144 का स्पष्ट उल्लंघन है। कैशबुक में अंकित धनराशि का मिलान करते समय परिवहन विभाग में पायी गयी कमियों के संबंध में विशेष आपत्ति संख्या–01डी/16/मु.न.ले.प./2017–18, दिनांक 23.05.2017,विशेष आपत्ति संख्या–13/वि0आ/मु.न.ले.प./2017–18, दिनांक 22.03.2018 एवं पत्र संख्या–20डी/16/मु.न.ले.प./2017–18, दिनांक 18.04.2017,विशेष आपत्ति संख्या–03डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 26.06.2019 तथा अन्य पत्रों/ साधारण आपत्तियों द्वारा नगर आयुक्त महोदय/संबंधित विभागाध्यक्षों को समय–समय पर विभागीय कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया गया है। पत्रावलियों/अभिलेखों को उपलब्ध न कराये जाने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना पूर्व में विशेष आपत्ति के माध्यम से व्यक्त की गयी थी जिसमें परिवहन विभाग की अनियमितताओं के संबंध में समिति गंठित कर व्यापक जाँच कराने हेतु संस्तुति की गयी थी (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रतियाँ संलग्न है)। उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5 के पत्र संख्या–912/न.वि.–5–15–404एस.ए./2017, दिनांक 08.03.2019 द्वारा जारी संशोधित लेखा नियमावली के नियम–75(4) के अनुसार **लेखाओं की परीक्षा और लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ, नगर निगम, लेखा परीक्षा के समय समस्त लेखा रजिस्टर, दस्तावेज और सहायक कागज पत्र, जो लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित हो सकते है, उपलब्ध करायेगा और अन्वेषण में उनकी सहायता करेगा।** लेकिन नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के बावजूद किसी विभाग द्वारा किसी स्तर से परीक्षण विभाग का न तो सहयोग किया गया और न ही परीक्षण हेतु माँगें गये अभिलेखों को उपलब्ध ही कराया गया आडिट विभाग द्वारा स्वयं के प्रयास से प्राप्त अभिलेखों की जाँच करके समय–समय पर वित्तीय अनियमितता की सम्भावना व्यक्त किया जा रहा है। जैसा कि संलग्न प्रपत्रों से भी स्पष्ट होता है।

3. भुगतान होने के पश्चात लेखो की परीक्षा कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी लेखा विभाग की होती है क्योकि भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों को लेखा विभाग में ही अनुरक्षित किया जाता है। लिखित तथा मौखिक बार–बार अनुरोध के बावजूद कुछ भुगतान प्रमाणक उपलब्ध कराया गया लेकिन टेण्डर संबधी पत्रावली, स्टाक बुक, अनुपयोगी सामानो का रजिस्टर, लाग बुक, वाहन रजिस्टर तथा नये वाहनों के क्रय किये जाने से संबंधित पत्रावलियाँ आदि अभिलेखों को अन्ततः उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक द्वारा

ट्रेसिंग का कार्य रोकड़ बही में दर्ज धनराशि के भुगतान प्रमाणक से मात्र मिलान का कार्य किया गया। लेखा विभाग के रोकड़ बही के रखरखाव के फलस्वरुप अनियमितताओं के संबंध में इस कार्यालय द्वारा विशेष आपत्ति संख्या–12डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक 17.10.2019 द्वारा नगर आयुक्त महोदय को भी तत्समय सूचित किया जा चुका है। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) इसके बावजूद रोकड़ बही का रखरखाव अभी भी ठीक ढ़ंग से नही हो पा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगमों के लेखो की जाँच महालेखाकार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग तथा आन्तरिक लेखा परीक्षको द्वारा त्रिस्तरीय आडिट व्यवस्था होने के बावजूद मात्र आन्तरिक लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आडिट आपत्तियाँ समय–समय पर उठाई गयी है जिसके आधार पर वर्तमान समय में परिवहन विभाग के अनियमितताओं की जाँच चल रही है।

(पत्रांक 111डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–17.02.2020)

26. <u>प्रभारी अधिकारी(अधिष्ठान)</u>

स्व0 भाईलाल की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित में स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या– II/290/क.व./2019–20, दिनांक 18.04.2019 द्वारा श्री किशोर पुत्र स्व0 भाईलाल की मृतक आश्रित में नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। पुनः स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या–II/4570/क.व./2019–20, दिनांक 16.01.2020 द्वारा श्री मनीष पुत्र स्व0 भाईलाल की मृतक आश्रित में नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। एक ही मृतक कर्मचारी के स्थान पर दोनो पुत्रों की नियुक्ति किये जाने हेतु अलग–अलग पत्रावलियाँ बनाये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक आश्रित में दोनों पुत्रो की नियुक्ति किये जाने की प्रकिया प्रारम्भ की गयी है। कृपया स्व0 भाईलाल की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित में दोनों पुत्रो की नियुक्ति किये जाने से संबंधित उपरोक्त पत्रावलियाँ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय अधीक्षक(केन्द्रीय) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(पत्रांक 113डी/16/मु.न.ले.प./2019–20, दिनांक–19.02.2020)

उपसंहार

आय पक्ष, व्यय पक्ष, एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों से संबंधित पत्रावलियों की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि इन चारों पक्षों में आडिट आपत्तियों को संज्ञान में लेकर सुधार की आवश्यकता है। करों की वसूली विशेष रुप से सम्पत्ति कर, विज्ञापन स्थल का किराया, लाइसेन्स शुल्कः रिक्शा, ताँगा,नाव एवं ई–रिक्शा आदि) अन्य शुल्क, सेवा/प्रशासनिक शुल्कः रोड कटिंग से आय, प्रपत्रों की बिक्री तथा निविदा से प्राप्त आय में बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना तथा अनावश्यक व्यय (डीजल, पेट्रोल तथा कार्यालय की साज सज्जा आदि) पर यथा सम्भव नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी विशेष, साधारण आपत्तियों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित पत्रों को यथा स्थिति मा0 महापौर महोदया, नगर आयुक्त, संबंधित विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को उनके निस्तारण तथा समुचित कार्यवाही हेतु समय–समय पर प्रेषित किया जाता रहा, परन्तु पाया गया कि लेखा परीक्षा विभाग के आपत्तियों एवं भेजे गयें पत्रों के प्रकाश में आय के समुचित संसाधन विकसित किये जाने, आडिट आपत्तियों को उत्तर प्रस्तुत करने तथा उनके निराकरण कराने के प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी तथा निगम प्रशासन द्वारा कभी कोई बैठक या कार्यशाला आयोजित नही की जाती। जिसके परिणामस्वरुप निगम के आय में न तो आशातीत वृद्धि हो पा रही है न ही आय के नये आयाम

विकसित हो पा रहे है। अनिर्णीत लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई प्रयास न किये जाने से उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियो तथापत्रों के प्रकाश में शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम प्रशासन को समुचित आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। ताकि आन्तरिक आडिट की मूल अवधारणा का औचित्य निगम हित में स्थापित हो सकें। उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि आपत्तियों के उठाये जाने तथा काफी पत्र व्यवहार किये जाने के बावजूद निगम प्रशासन द्वारा आडिट कार्य में न कोई सहयोग किया जा रहा है न ही वांछित अभिलेख ही प्रस्तुत किये जा रहे है। प्रशासन द्वारा आडिट के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाये जाने के कारण अनेको गबन तथा गम्भीर मामलों का पटाक्षेप नही हो पा रहा है।

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन को तैयार कराये जाये के लिये लेखा परीक्षा विभाग के समस्त ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक तथा लिपिक का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने इस प्रतिवेदन को तैयार कराने में काफी सहयोग प्रदान किया है।

नगर निगम प्रशासन तथा माननीय कार्यकारिणी समिति का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रत्येक स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(रोहिताश्व शुक्ल)
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक